भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

आरबीआई/2011-12/62

शबैंवि.बीपीडी **(**पीसीबी**).**एमसी.सं.**5 /13.05.000/201**2**-1**3   2 जुलाई 2012

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया / महोदय

मास्टर परिपत्र

अग्रिमों का प्रबंधन - शहरी सहकारी बैंक

कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई, 2011 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैवि.बीपीडी (पीसीबी) एमसी.सं. 5/13.05.000/2011-12 देखें (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.inपर उपलब्ध)। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों / दिशानिर्देशों को समेकित एवं अद्यतन किया गया है तथा परिशिष्ट में उल्लिखित है।

भवदीय

(ए.उदगाता)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
संलग्नक: यथोक्त

शहरी बैंक विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, गारमेंट हाउस, पहली मंजिल, डॉ.ए.बी.रोड़, वरली, मुंबई - 400 018, भारत
फोन: 022 - 2493 9930 - 49; फैक्स: 022 - 2497 4030 / 2492 0231; ई मेल: rbiubdco@rbi.org.in
Urban Banks Department, Central Office, Garment House, 1 Floor, Dr.A.B.Road, Worli, Mumbai - 400018, India
Phone: 022 - 2493 9930 - 49; Fax: 022 - 2497 4030 / 2492 0231; Email: rbiubdco@rbi.org.in

बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है ।

विषय-वस्तु

क्र. सं.	विवरण	पृ. सं.
1.	प्रस्तावना	1
2.	कार्यशील पूंजी की आवश्यकता	1
3.	बैंक ऋण प्रदान करने के लिए ऋण प्रणाली	2
4.	ऋण प्रशासन	4
5.	ऋण सूचना का आदान-प्रदान	14
6.	अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित विवेकपूर्ण दिशा निर्देश	19
7.	विशिष्ट ऋण गतिविधियां	20
8.	बैंकों द्वारा बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई	26
9.	स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) हेतु ऋण	29
10.	आयकर अधिनियम 1974 का पुनरुद्धार	32
11.	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र के लिए दिए जाने वाले राहत उपयों पर दिशा निर्देश	33
अनुबंध - 1 संपत्ति का मूल्यन और मूल्यनकर्ता ओं का पैनल बनाना		34
अनुबंध - 2 राहत उपायों के लिए दिशा - निर्देश		36
अनुबंध - 3 उधार खातों जिन्हें संदिग्ध, हानि के रूप में वर्गीकृत किया गया है या कुल 100 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक के बकाया (अल्प निधिकृत तथा गैर - निधिकृत दोनों) के संबंध में दायर किए गए मुकदमों का ब्यौरा		53
अनुबंध - 4 अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित विवेकपूर्ण दिशा निर्देश		66
अनुबंध - 5 सुक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की परिभाषा		72
अनुबंध- 6 सुरक्षा उपाय- स्वर्ण/चांदी के आभूषण गिरवी रखने के बदले में अग्रिम		74
परिशिष्ट मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची		78

<u>अग्रिमों का प्रबंधन - मास्टर परिपत्र</u>

1. प्रस्तावना

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी ऋण सीमा संबंधी मानदंडों और विभिन्न अन्य दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक कार्यकलाप की प्रत्येक स्थूल श्रेणी के संबंध में अपने बोर्ड के मार्फत ऋण वितरण के लिए परदर्शी नीतियां और दिशानिर्देश तय करें।

2. कार्यशील पूंजी की आवश्यकता

2.1 लघु औद्योगिक इकाइयों से इतर उधारकर्ताओं की, जिन्हें बैंकिंग क्षेत्र से 1 करोड़ रुपये तक निधि आधारित कार्यशील पूंजीगत सीमा की और लघु औद्योगिक इकाइयों की जिन्हें 5.00 करोड़ रुपये तक निधि आधारित पूंजीगत सीमा की आवश्यकता है, कार्यशाल पूंजी का मूल्यांकन उनके अनुमानित वार्षिक आवर्त (टर्नओवर) के आधार पर किया जाए ।

2.2 इन दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं का मूल्यांकन अनुमानित आवर्त के 25% के आधार पर किया जाना चाहिए जिसे उधारकर्ता और बैंक के बीच इस तरह बांटा जाना चाहिए कि आवर्त का 5% निवल कार्यशील पूंजी के रूप में उधारकर्ता का अंशदान हो तथा बैंक आवर्त का कम से कम 20% वित्तपोषण प्रदान करें। अनुमानित आवर्त की व्याख्या " एक्साईज कर सहित सकल बिक्री " के रूप में करे।

2.3 बैंक अपने विवेक से अनुमानित आवर्त के आधार पर आधारित या पारंपरिक पद्धति से मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि पारंपारिक उत्पादन /अभिसंस्करण चक्र पर आधारित ऋण आवश्यकता अनुमानित आवर्त के आधार पर किए गए मूल्यांकन से अधिक हो तो उसे ही स्वीकृत किया जाना चाहिए क्यों कि उधारकर्ता को उनके अनुमानित वार्षिक आवर्त का कम से कम 20 प्रतिशत वित्तपोषण प्रदान किया जाना चाहिए । अनुमानित वार्षिक आवर्त का आकलन वार्षिक लेखा विवरण या बिक्री / राजस्व प्राधिकारियों को प्रस्तुत विवरणियों जैसे अन्य प्रलेखों के आधार पर किया जाए। भुगतान न किए गए शेयरों को घटाने के बाद शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निर्धारित आहरण शक्ति के आधार पर वास्तविक आहरण के लिए अनुमति दी जाए।

2.4 ऋण सीमा में से आहरण की अनुमति, तथापि, सामान्य सुरक्षा उपायों के अनुसार होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है जिसके लिए ऋण सीमा मंजूर की गई है। बैंकों को मासिक स्टॉक, प्राप्य माल आदि

विवरणों का उधारकर्ता द्वारा समय पर प्रस्तुतीकरण और ऐसे विवरणों का वास्तविक स्टॉक की तुलना में आवधिक सत्यापन सुनिश्चित करना होगा ।

2.5 लघु उद्योग इकाइयों से इतर उधारकर्ताओं के संबंध में जिन्हें बैंकिंग प्रणाली से 1 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है और ऐसी लघु उद्योग इकाइयां जिन्हें निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमा की 5 करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यकता है, शहरी सहकारी बैंक उधारकर्ता की ऋण आवश्यकता के अनुसार कार्यशील पूंजी आवश्यकता निर्धारित करे। शहरी सहकारी बैंक टर्नओवर पद्धति, कैश बजटिंग पद्धति या अन्य कोई पद्धति अपनाए जो आवश्यक है। यद्यपि शहरी सहकरी बैंक यह सुनिश्चित करें कि अंतर्देशीय ऋणगत विक्री के वित्तपोषण के लिए उधारकर्ताओं को मंजूर की गई सीमा बही ऋण वित्त के 75 प्रतिशत से अधिक न हो। ऋण बिक्री के बकाया 25 प्रतिशत के लिए बिलों के मार्फत वित्तपोषण प्रदान किया जाए ताकि बिक्री के वित्तपोषण के लिए बिलों का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके ।

3. बैंक ऋण प्रदान करने के लिए ऋण प्रणाली

3.1 बैंकिंग प्रणाली से 10 करोड़ रुपये और अधिक ऋण सीमाओं का लाभ उठाने वाले उधारकर्ताओं के मामले में सामन्यत: ऋण घटक का न्यूनतम स्तर 80 प्रतिशत तथा शेष नकद घटक होना चाहिए। शहरी सहकारी बैंक यदि चाहें तो नकदी ऋण घटक को 20 से बढ़ाकर या ऋण घटक को 80 प्रतिशत से बढ़ाकर, जैसी भी स्थिति हो, कार्यशील पूंजी के गठन में परिवर्तन कर सकते हैं । बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी नकदी और नकदी प्रबंधन पर ऐसे निर्णयों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कार्यशील पूंजीगत वित्त को दोनों घटकों का समुचित रूप से मूल्यन करें ।

3.2 10 करोड़ रुपये से कम कार्यशील पूंजी (निधि आधारित) ऋण सीमा वाले उधारकर्ताओं के मामले में बैंक `नकदी ऋण घटक' की तुलना में ऋण घटक पर कम ब्याज दर लागाने का प्रोत्साहन देकर उन्हें ऋण प्रणाली के लिए राजी कर सकते हैं। इन मामलों में ऋण घटकों का वास्तविक प्रतिशत बैंक अपने उधारकर्ता ग्राहक के साथ तय कर सकते हैं ।

3.3 **तदर्थ ऋण सीमा**

उधारकर्ताओं की अस्थायी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक तदर्थ/अतिरिक्त ऋण देने पर तभी विचार कर सकते हैं जब उधारकर्ता ने मौजूदा ऋण सीमा का पूरा-पूरा उपयोग कर लिया हो।

3.4 **कार्यशील पूंजी वित्त का बंटवारा**

संघद्वारा प्रत्येक बैंक के अंश का स्तर एकल / उधारकर्ता समूह के लिए स्वीकृत ऋण सीमा संबंधी मानदंडों द्वारा संचालित होगा ।

3.5 **ब्याज दर**

ऋण घटक और नकदी ऋण घटक के लिए बैंकों को अलग - अलग उधार दर लगाने की अनुमति दी गई है ।

3.6 **ऋण की अवधि**

कार्यशील पूंजी के प्रयोजन के लिए ऋण की न्यूनतम अवधि बैंक उधारकर्ताओं से परामर्श करके तय कर सकते हैं। बैंक उधारकर्ता की जरूरतों के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिए भिन्न-भिन्न परिपक्वता के आधार पर ऋण घटक को विभाजित कर सकते हैं और रोलओवर की अनुमति दे सकते हैं ।

3.7 **निर्यात ऋण**

निर्यात ऋण सीमा का लाभ उठाने वाले उधारकर्ताओं के मामले में ऋण और नकदी ऋण घटकों में कार्यशील पूंजी सीमा का विभाजन निर्यात ऋण सीमा (पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर) को घटाने के बाद किया जाएगा ।

3.8 **बिल सीमा**

अंतर्देशीय बिक्री के लिए बिल सीमा "ऋण घटक" में से ही ली जानी चाहिए। बिल सीमा में तीसरे पक्ष के चेकों / बैंक ड्राफ्टों की खरीद सीमा भी शामिल है। बैंक इस बात से आश्वस्त हो लें कि बिल सीमा का दुरुपयोग नहीं किया जाता है । कार्यशील पूंजी की आवधिक समीक्षा के लिए शहरी सहकारी बैंक नीतिगत दिशा निर्देश बनाए तथा इनका कडाई से पालन करें।

4. ऋण प्रशासन

ब्याज दर

4.1 शहरी सहकारी बैंकों को अपनी निधियों की लागत तथा लेनदेन की लागत को ध्यान में रखते हुए अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से उधार दरें तय करने की अनुमति दी गई थी। यद्यपि, बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि उनके द्वारा लगाई जाने वाली ब्याज दरें पारदर्शी हों तथा सभी ग्राहकों को ज्ञात हों। बैंकों के लिए यह भी अनिवार्य था कि वे अपनी शाखाओं में अग्रिमों पर ली जाने वाली न्यूनतम और उच्चतम ब्याज दर प्रदर्शित करें। हालांकि ब्याज दरों पर से नियंत्रण हटा लिया गया है फिर भी एक खास सीमा से अधिक ब्याज दरें सूदखोरी जैसी दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा वे न तो कारगर होंगी और न ही सामान्य बैंकिंग प्रथा के अनुरूप। बैंकों के निदेशक मंडल इस सबंध में आंतरिक सिद्धांत तथा क्रियाविधि तय करें। कम मूल्य के ऋणों विशेष रूप से व्यक्तिगत ऋणों तथा इसी प्रकार के अन्य ऋणों के संबंध में सिद्धांत और क्रियाविधि तय करते समय बैंक अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखें:

(i) ऐसे ऋण स्वीकृत करने के लिए पूर्वानुमोदन की उचित प्रणाली निर्धारित करनी चाहिए जिसमें भावी उधारकर्ता के अन्य पहलुओं के साथ-साथ उसकी ऋण चुकाने की क्षमता को भी ध्यान में रखना चाहिए।

(ii) बैंकों द्वारा लगाई गई ब्याज दरों में अन्य बातों के साथ-साथ उधारकर्ता की आंतरिक रेटिंग के अनुसार यथोचित जोखिम प्रीमियम शामिल करना चाहिए। साथ ही, जोखिम निर्धारित करते समय जमानत होने या न होने तथा उसके मूल्य को ध्यान में रखना चाहिए।

(iii) उधारकर्ता पर पड़ने वाले कुल लागत का भार जिसमें किसी ऋण पर लगाए गया ब्याज और अन्य सभी प्रभार शामिल हैं, को बैंक द्वारा उस ऋण को देने में आई कुल लागत तथा उस आय की सीमा की दृष्टि से औचित्यपूर्ण होनी चाहिए जो जाहिर है कि लेनदेन से सृजित होगी और उसे हिसाब में लिया जाए।

(iv) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारकर्ताओं को ऋण देने के मामले में 25,000/- रुपये तक के ऋण पर कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाए। ऋण चुकाने में चूक, वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत न करने आदि जैसे कारणों के लिए दंडात्मक ब्याज लगाया जाए। तथापि दंडात्मक ब्याज की नीति पारदर्शिता, औचित्य, ऋण चुकाने पर प्रोत्साहन तथा ग्राहकों की वास्तविक समस्याओं को उचित महत्व देने के सर्वस्वीकृत सिद्धांतों पर पर आधारित होनी चाहिए।

(v) बैंक यह सुनिश्चित करें कि छोटे और सीमांत किसानों को दिए गए अल्पावधि अग्रिमों के संबंध में किसी खाते में नामे (डेबिट) किया गया कुल ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए 5 एकड़ या उससे कम जमीन रखने वाले छोटे और सीमांत किसानों को भी शामिल किया जाए।

(vi) ऐसे ऋणों पर लगाए जाने वाले प्रोसेसिंग तथा अन्य प्रभारों सहित उनकी ब्याज दर की यथोचित उच्चतम सीमा निर्धारित की जाए जिसे यथासमय सार्वजनिक रूप से प्रचारित भी किया जाए।

अनापत्ति प्रमाणपत्र

4.2 शहरी सहकारी बैंकों को मौजूदा वित्तपोषक बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना ऐसे किसी भी उधारकर्ता को वित्तपोषण प्रदान नहीं करना चाहिए जो पहले से ही किसी अन्य बैंक से ऋण सुविधाएं ले रहा हो ।

4.3 चालू खाते खोलना

4.3.1 चालू खातों को खोलते समय एनपीए स्तरों में कमी के लिए ऋण अनुशासन के महत्व को ध्यान में रखते हुए बैंकों को चाहिए कि वे:

(i) खाताधारक से इस आशय की घोषणा करने का आग्रह करें कि वह अन्य किसी वाणिज्यिक बैंक से किसी प्रकार की ऋण सुविधा नहीं ले रहा है आथवा उससे एक

घोषणा लें जिसमें उसके द्वारा अन्य किसी वाणिज्यिक बैंक / बैंकों से ली गई ऋण सुविधाओं का ब्यौरा दिया गया हो।

(ii) यह पता करें कि क्या वह किसी अन्य सहकारी सोसायटी/बैंक का/की सदस्य है; यदि हां, उसका पूरा ब्यौरा जैसे सोसायटी/बैंक का नाम, धारित शेयरों की संख्या, ऋण सुविधाओं का ब्योरा जैसे प्रकार, मात्रा, बकाया, देयता की तिथियां आदि प्राप्त की जानी चाहिए।

4.3.2 इसके अतिरिक्त यदि वह पहले से ही अन्य किसी वाणिज्यिक बैंक / सहकारी बैंक से किसी प्रकार की ऋण सुविधा ले रहा/रही है तो चालू खाता खोलने वाले बैंक को उधार देने वाले संबंधित बैंक /बैंकों को विधिवत इसकी सूचना देनी चाहिए तथा उनसे विशेष रूप से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्राप्त करने का आग्रह करना चाहिए। किसी ऐसे संभावित ग्राहक के मामले में जो एक से अधिक बैंकों से ऋण सुविधाएं लेने वाला एक कारपोरेट अथवा बड़ा उधारकर्ता हो तो बैंकों को यदि सहायता संघ के अंतर्गत हो तो सहायता संघ (कन्सोर्टियम) के नेता तथा यदि बहुल बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत हो तो संबंधित बैंकों को सूचित करना चाहिए। यदि किसी सहकारी बैंक/सोसायटी से कोई सुविधा ली गई है तो बैंक के लिए यह आवश्यक है कि वह सदस्यता तथा उधार के संबंध में संबंधित राज्य सहकारी सोसायटियां अधिनियम/नियमों की अपेक्षाओं का पालन करे।

4.3.3 यदि एक पखवाड़े के न्यूनतम समय के बाद मौजूदा बैंकरों से कोई उत्तर न मिले तो बैंक भावी खाताधारकों के चालू खाते खोल सकते हैं। यदि उत्तर एक पखवाड़े के भीतर प्राप्त हो जाता है तो बैंकों को उस भावी ग्राहक के बारे संबंधित बैंक द्वारा दी गई सूचना के संदर्भ में स्थिति का जायजा लेना चाहिए और तब बैंकों के ग्राहक की सच्ची स्वतंत्रता तथा बैंक द्वारा ग्राहक की आवश्यक समुचित सावधानी के अनुरूप उनके लिए औपचारिक रूप से अनापत्ति प्रमाणपत्र मांगना अनिवार्य नहीं है।

सनदी लेखापालों द्वारा गैर - निगमित उधारकर्ताओं के खातों का प्रमाणन

4.4 सनदी लेखापालों द्वारा गैरकंपनी उधारकर्ताओं के खातों का प्रमाणन आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कतिपय गैर कंपनीसंस्थाओं के लिए लेखा परीक्षित तुलनपत्र एवं लाभ - हानि लेखा की प्रतियां प्रस्तुत करना अधिदेशात्मक है। ऐसे उधारकर्ता चूंकि सनदी लेखापाल द्वारा उनकी बहियों की लेखा परीक्षा के आधार पर आयक प्राधिकारियों को लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं, इसलिए बैंकों को बड़ी ऋण सीमा प्राप्त उधारकर्ताओं से लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का आग्रह करना चाहिए ।

उधारकर्ताओं द्वारा सांविधिक देनदारियों के भुगतान में चूक

4.5 शहरी सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करे कि ऋण सुविधाएं प्राप्त करनेवाले उधारकर्ता द्वारा भविष्य निर्वाह निधि और उसी प्रकार की अन्य देनदारियां तत्परता से चुकाई जाती हैं । सांविधिक देनदारियों का भुगतान न करना किसी भी औद्योगिक इकाई की आरंभिक रूग्णता के लक्षण हैं। अत: ऐसी देनदारियों की चुकौती को उच्च प्राथमिकता देना उधारदाता और उधारकर्ता दोनों के हित में होगा। ऐसी देनदारियों की बकाया राशि की चुकौती के लिए उधारकर्ता से विशिष्ट कार्यक्रम का आग्रह करने के अलावा बैंक निधि के निर्गमन पर यथोचित प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकते हैं। सहरी सहकारी बैंकों को अपने आवेदन फार्म में ऋण सुविधाओं की मंजूरी /नवीकरण / नकदीकरण के लिए एक उचित घोषणा शामिल करनी चाहिए ताकि उसमें सांविधिक देनदारियों के बारे में खुलासा सुनिश्चित किया जा सके । कंपनी उधारकर्ताओं और गैर कंपनी उधारकर्ताओं के संबंध में सांविधिक देनदारियों की राशि सामान्यत: उनके वार्षिक लेखाओं में प्रतिबिंबित होती है। यदि लेखापरीक्षित लेखाओं से सांविधिक देनदारियों की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो इस प्रयोजन के लिए सनदी लेखापाल के विशिष्ट प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं ।

4.6 अग्रिमों की मंजूरी

4.6.1 ऋण की मंजूरी में अनियमितताएं / खामियां

धोखाधड़ी के अवसरों को कम करने के लिए बैंकों को विवेकपूर्ण शक्तियों से अधिक अग्रिम मंजूर करने और / या यथोचित मूल्यांकन बिना ऋण मंजूर करने जैसी अनयिमित प्रथाओं से बचने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरतनी चाहिए ।

4.6.2 शक्तियों का प्रत्यायोजन

(i) अग्रिम और व्यय की मंजूरी के लिए निदेशक मंडल को शाखा प्रबंधकों और प्रधान कार्यालय के स्तर पर अन्य अधिकारियों के साथ-साथ अध्यक्ष को विशिष्ट शक्तियां देनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शक्तियों का प्रयोग निर्धारित सीमा के भीतर ही किया जाता है एवं किसी भी प्रकार के उल्लंघन की सूचना प्रधान कार्यालय की शीघ्र दी जाती है, एक प्रणाली विकसित की जाती है ।

(ii) आंतरिक निरीक्षकों को निरीक्षण के दौरान यह पता करना चाहिए कि शक्तियों का प्रयोग उचित ढंग से किया गया है और शक्तियों के अनधिकृत प्रयोग की सूचना प्रधान कार्यालय को दी गई है । उसी प्रकार, प्रधान कार्यालय में अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य कार्यपालकों द्वारा विवेकपूर्ण शक्तियों से परे मंजूरी के मामलों की सूचना निदेशक मंडल को दी गई है ।

मौखिक मंजूरी

4.6.3 विभिन्न स्तरों के उच्च अधिकारियों को अग्रिमों की मंजूरी मौखिक रूप से या टेलीफोन द्वारा देने की अस्वस्थ प्रथा से बचना चाहिए ।

4.6.4 **विचलन का उचित रिकार्ड रखना**

(i) अत्यावश्यक होने पर ही, जहां टेलीफोन पर स्वीकृति देना /उच्चाधिकारीयों द्वारा मौखिक अनुदेश देने या विवेकपूर्ण शक्तियों से परे स्वीकृति अपरीहार्य हो वहां निम्नलिखित का पालन किया जाना चाहिए।

(ए) मंजूरीकर्ता / वितरणकर्ता अधिकारियों को ऐसी स्वीकृति दिए जाने की परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए अनुदेशों / मंजूरी का रेकार्ड रखना चाहिए ।

(बी) वितरणकार्ता अधिकार को एक सप्ताह / पक्ष के अंदर सक्षम मंजूरकर्ता अधिकारी की लिखित पुष्टि प्राप्त कर लेनी चाहिए ।

(सी) विवेकपूर्ण शक्तियों के अंदर दी गई मंजूरी की भी सूचना निर्धारित समय में प्रधान कार्यालय को देनी चाहिए और प्रधान कार्यालय को ऐसी विवरणी की प्राप्ति का सावधानीपूर्वक अनुवर्तन करना चाहिए।

(डी) प्रधान कार्यालय को विवरणों /विवरणियों की बारीकी से संवीक्षा करनी चाहिए तथा गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध, यदि वे अनधिकृत रूप से मंजूरी देने के दोषी पाए जाएं तो, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ।

(ii) अधिकारियों को दी गई शक्तियों का यथोचित प्रयोग करना चाहिए और ऋण एवं अग्रिम मंजूर करने के लिए अपनी विवेकपूर्ण शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस संबंध में किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए और दोषियों को समुचित रूप से दंडित किया जाना चाहिए ।

4.7 **ऋण खातों में निगरानी कार्य**

4.7.1 **कार्योत्तर निगरानी**

(i) बैंक की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह सतर्क रहे और बैंक निधि का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करे / निधि प्रवाह की निगरानी करे। अत: बैंक के लिए यह आवश्यक है कि वह सुनिश्चित करने की व्यवस्था करे कि नकदी ऋण / ओवरड्राफ्ट खातों से किया गया आहरण उसी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके लिए ऋण सीमा मंजूर की गई है।

(ii) ऋणों और अग्रिमों का कार्योत्तर अनुवर्तन कारगर होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बंधक, गिरवी आदि के रूप में उधारकर्ता से प्राप्त की गई जमानत से छेड़छाड़ न की जाए और वह पर्याप्त हो ।

(iii) **जहां खाते अनर्जक आस्तियां बनने के लक्षण दिखाई देते है** ऐसे मामलों में बैंक सुरक्षा के और कड़े उपाय करें, विशेष रूप से जहां खाते अनर्जक आस्तियों में परिवर्तित होने के लक्षण दिखने लगे हों। इस प्रकार के मामलों में बैंक उधारकर्ताओं के गोदामों के सतत निरीक्षणों के जरिए अपनी निगरानी प्रणाली को मजबूत करें और यह सुनिश्चित करें कि बिक्री प्राप्तियां बैंक में उधारकर्ता के खातों के माध्यम से की जाती हैं तथा दृष्टिबंधक के स्थान पर स्टॉक के रूप में गिरवी के लिए आग्रह किया जाता है।

(iv) समाशोधन के लिए भ्टाजे गए चेकों की जमानत पर आहरण की मंजूरी केवल प्रथम श्रेणी के ग्राहकों को दी जानी चाहिए और ऐसे मामलों में भी सीमा की मात्रा और उसकी आवश्यकता की पूर्ण संवीक्षा औरा आवधिक संवीक्षा की जानी चाहिए। बैंकों को समाशोधन के लिए भेजे गए लिखतों की जमानत पर बैंकर/चेक /भुगतान आदेश / मांग ड्राफ्ट तब तक जारी नहीं करने चाहिए (जब तक कि उनकी राशि नहीं वसूली जाती और पार्टी के खातों में जमा नहीं कर दी जाती) या उधारकर्ता जिनके खाते जो पहले से ही अतिआहरित हैं या ऐसे लिखतों के जारी करने से जिनके अतिआहरित होने की संभावना है ।

(v) समाशोधन के लिए भेजे गए लिखतों की जमानत पर आहरणों को सामान्यत: बैंक ड्राफ्ट और सरकारी चेकों तक और तीसरे पक्षकार के चेकों को सीमित मात्रा तक मर्यादित रखना चाहिए ।

(vi) जिन चेकों की जमानत पर आहरण की अनुमति दी गई है उनसे वास्तविक व्यापार लेनदेन प्रतिबिंबित होना चाहिए और चेकों, बिलों आदि के निभाव पर कड़ी सतर्कता बरती जानी चाहिए।

4.7.2 **उत्तरदायित्व**

(i) निधियों के दुरुपयोग को रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी बैंक के प्रबंध तंत्र की है। अत: शहरी सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे अपने आंतरिक प्रबंधन की समीक्षा करें और उसे चुस्त दुरूस्त बनाएं ताकि निधियों के दुरुपयोग / विशाखन और अनाचार को दूर किया जा सके ।

(ii) बैंकों को स्टाफ सदस्यों द्वारा किए गए शक्ति के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और अन्य अनाचारी कृत्यों को गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे कृत्य करनेवाले स्टाफ को

अनियमितता की गंभीरता के अनुरूप दंडित किया जाना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में बैंक द्वारा जांच को शीघ्र निपटाना और कठोर दंड देना आवश्यक होगा।

अग्रिमों की वार्षिक समीक्षा

4.8 अग्रिमों की कारगर निगरानी के लिए बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अग्रिमों की समीक्षा नियमित आधार पर करते रहें। परिचालक की गुणवत्ता, निधियों की सुरक्षा आदि का मूल्यांकन करने के समीक्षा के उद्देश्य के अलावा समीक्षा में उपलब्ध अद्यतन डाटा के आधार पर उधारकर्ता की कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के मूल्यांकन का विशिष्ट प्रयास किया जाना चाहिए कि क्या ऋण सीमा जरूरत आधारित आवश्यकताओं के अंदर है और बैंक के निर्धारित उधार संबंधी मानदंडों के अनुसार है ।

संपत्ति का मूल्यन - मूल्यनकर्ताओं का पैनल

4.9 बैंकों द्वारा स्वाधिकृत निर्धारित आस्तियों तथा अपने अग्रिम संविभाग के एक बड़े हिस्से के लिए संपार्श्विक के रूप में स्वीकृत आस्तियों के सही और वास्तविक मूल्यन का मुद्दा बैंकों की पूंजी पर्याप्तता की स्थिति की सही गणना पर उसके प्रभावों के मद्देनजर महत्वपूर्ण हो गया है। अत: शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि अनुबंध । में दिए गए अनुसार निर्धारित आस्तियों के वास्तविक मूल्यन के लिए तथा मूल्यनकर्ताओं का पैनल बनाने के लिए एक प्रणाली /प्रक्रिया स्थापित करें।

निधियों का अन्यत्र प्रयोग

4.10 शहरी सहकारी बैंकों के पास निधियों के अंत्य उपयोग की निगरानी करने की एक व्यवस्था होनी चाहिए। जब कभी उन्हें निधियों के अन्यत्र इस्तेमाल का पता चले तो बैंक के हितों की रक्षा के लिए विशाखित राशि वापस लना, मंजूर ऋण में कटौती, दंडात्मक ब्याज लगाना आदे आवश्यक कदम उठाना चाहिए। लेनी चाहिए। इसके अलावा, बैंक विशाखित राशि पर दंडात्मक ब्याज भी लगा सकता है । बैंकों को अपने ग्राहकों के बड़ी राशि के आहरणों के अनुरोधों पर उचित सतर्कता बरतनी चाहिए । नकदी ऋण तथा अन्य ऋण खातों में दृष्टिबंधक के अंतर्गत जब कभी यह पाया जाए कि स्टॉक बिक गया है लेकिन उससे हुई प्राप्तियां ऋण खाते में जमा नहीं की गई हैं तो इस प्रकार की कार्रवाई को सामान्य तौर पर धोखाधड़ी माना जाना चाहिए। ऐसे मामलों में बैंक शेष स्टॉक को सुरक्षित करने के लिए तात्कालिक कदम उठाएं तथा अन्य अनिवार्य कार्रवाई भी करें ताकि उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य में आगे और गिरावट को रोका जा सके।

4.11 निम्नलिखित में से किसी एक के होने को निधियों का अन्यत्र उपयोग माना जाएगा :

(ए) अल्पावधि कार्यशील पूंजीगत निधियों को दीर्घावधि प्रयोजनों के लिए इस तरह इस्तेमाल करना जो मंजूरी की शर्तों के अनुसार न हों;

(बी) उधार ली गई निधियों को उन प्रयोजनों / गतिविधियों के लिए या उन आस्तियों के निर्माण में इस्तेमाल नहीं करना जिनके लिए ऋण मंजूर किया गया था ।

(सी) सहयोगी संस्थाओं / ग्रुप कंपनियों या अन्य कंपनियों को निधियां अंतरित करना

(डी) उधारदाता के अनुमोदन के बिना उधारदाता बैंक या संघ सदस्य से इतर किसी बैंक के मार्फत निधियां भेजना

(ई) उधारदाता के अनुमोदन के बिना इक्विटियां / ऋण लिखत प्राप्ति के जरिए दूसरी कंपनियों में निवेश करना ।

(एफ) वितरित / आहरित राशि

4.12 निधियों की साइफनिंग तब हुआ माना जाएगा जब उधार ली गई राशि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया गया हो जो उधारकर्ता के परिचालन / कार्यों टस संबंधित न हो, संस्था या उधारदाता के वित्तीय स्वास्थ्य के विरुद्ध हो। कोई कृत्य निधियों की साइफनिंग है या नहीं इसका निर्णय मामले के वस्तुपरक तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उधारदाता के निर्णय द्वारा तय किया जाएगा ।

4.13 **निधियों का अंतिम उपयोग**

परियोजना वित्तपोषण के मामलों में बैंकों को निधियों का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अन्य बातों के साथ - साथ, सनदी लेखापाल से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए अल्पावधि कंपनी / निर्बाध ऋणों के मामले में इस प्रकार के दृष्टिकोण के समर्थनार्थ उधारकर्ता को स्वंय अतिनिष्ठापूर्वक ध्यान देना चाहिए और जहां तक संभव हो, ऐसे ऋणों को उन्ही उधारकर्ताओं तक सीमित रखना चाहिए जिनकी निष्ठा और विश्वसनीयता सिद्ध हो चुकी हो। शहरी सहकारी बैंकों को सनदी लेखापाल द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर पूर्णत: आश्रित नहीं रहना चाहिए बल्कि अपने ऋण संविभाग की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपने आंतरिक नियंत्रणों और जोखिम प्रबंध प्रणाली को मजबूत बनाना चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं है कि बैंकों द्वारा निधियों के अंतिम अपयोग को सुनिश्चित करना उनके ऋण संबंध नीतिगत प्रलेख का एक भाग है जिसके लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए ।

4.14 निधियों की निगरानी और उनके अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उधारदाता द्वारा किए जाने वाले कुछ उदाहरणात्मक उपाय नीचे प्रस्तुत हैं;

(ए) उधारकर्ता की तिमाही प्रगति रिपोर्ट / परिचालनगत विवरण / तुलनपत्र की अर्थपूर्ण संवीक्षा

(बी) उधारदाता पर प्रभारित उधारकर्ता की आस्तियों का नियमित निरीक्षण

(सी) उधारकर्ता की लेखा बहियों और अन्य बैंकों में रखे नॉन-लियन खातों की आवधिक संवीक्षा

(डी) सहायताप्रदत्त इकाइयों का आवधिक दौरा

(ई) कार्यशील पूंजीगत वित्तपोषण के मामले में आवधिक स्टाफ ऑडिट प्रणाली

(एफ) उधारकर्ता के `ऋण' कार्यपद्धति की आवधिक व्यापक प्रंबधन लेखापरीक्षा करना ताकि ऋण प्रबंधन की प्रणालीगत कमजोरियों का पता लगाया जा सके ।

5. ऋण सूचना का आदान प्रदान

5.1 जैसा कि आप जानते है, ऋण सूचना कंपनियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 दिनांक 14 दिसंबर 2006 से लागू हो गया है। अधिनियम की धारा 15(1) के अनुसार प्रत्येक ऋण संस्था को अधिनियम के लागू होने से तीन माह की अवधि के अंदर या आवेदन करने पर रिज़र्व बैंक द्वारा बढाई गई समय सीमा के अंदर कम से कम एक ऋण सूचना कंपनी का सदस्य बनना जरूरी है । चूंकि अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (एफ) में दी गई परिभाषा के अनुसार शहरी सहकारी बैंक ऋण संस्था के अंतर्गत आते हैं अत: उनको कम से कम एक ऋण सूचना कंपनी की सदस्यता लेनी होगी तथा ऋण सूचना कंपनी द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऋण सूचना कंपनी को ऋण संबंधी आंकडे (सकारात्मक तथा नकारात्मक) प्रस्तुत करना आवश्यक है।शहरी सहकारी बैंकों को ऋण सूचना के प्रभावी आदान प्रदान के लिए डाटाबेस तैयार करना चाहिए ।

सूचना का आदान प्रदान - सहायता संघीय व्यवस्था / बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत ऋण देना

5.2 शहरी सहकारी बेंकों को एक से अधिक बैंकों से ऋण सुविधा पानेवाले उधारकर्ताओं के संबंध में अपने सूचना आधार को सुदृढ़ बनाना चाहिए।

(i) नयी ऋण सुविधा मंजूर करते समय बैंक उधारकर्ताओं से अन्य बैंकों से पहले से ही मिल रही ऋण सुविधाओं के संबंध में घोषणा प्राप्त करें।विद्यमान उधारकर्ताओं के मामले में, सभी बैंकों को अपने ऐसे उधारकर्ताओं से घोषणा प्राप्त करनी चाहिए जो 5.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक की स्वीकृत सीमा का उपभोग कर रहे हैं या

बैंकों को यह पता है कि उनके उधारकर्ता अन्य बैंकों से ऋण सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, बैंकों को अन्य बैंकों के साथ सूचना के आदान-प्रदान की प्रणाली आरंभ करनी चाहिए।

(ii) बाद में बैंकों को अन्य बैंकों के साथ उधारकर्ताओं के खातों के परिचालन के संबंध में कम-से-कम तिमाही अंतराल पर सूचना का आदान-प्रदान करना चाहिए।

(iii) किसी प्रोफेशनल से, अधिमानतः किसी कंपनी सेक्रेटरी / लागत लेखाकार / सनदी लेखाकार से प्रचलित विभिन्न सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में नियमित प्रमाणन प्राप्त करें।

(iv) क्रेडिट सूचना कंपनियों से प्राप्त क्रेडिट रिपोर्टों का अधिक उपयोग करें (सीआईबीआईएल, मे. एक्सपीरियन क्रेडिट इन्फोर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्रा. लि.,इक्विफैक्स क्रेडिट इन्फोर्मेशन सर्विसेस प्रा. लि., तथा हाई मार्क क्रेडिट इन्फोर्मेशन सर्विसेस प्रा. लि.)

(v) बैंकों को चाहिए कि वे भविष्य में (वर्तमान सुविधाओं के मामले में अगले नवीकरण के समय) ऋण करारों में ऋण सूचना के आदान-प्रदान के संबंध में उपयुक्त खंड शामिल करें ताकि गोपनीयता संबंधी मुद्दों का समाधान हो सके।

5.3 जानकारी का प्रकटन तथा चूक उधारकर्ताओं की निगरानी

5.3.1अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे प्रत्येक वर्ष सितंबर और मार्च के अंत में अनुबंध 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार उन उधार खातों की जानकारी दें जिन्हे संदिग्ध, हानि और वाद-दाखिल श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और जिनकी सकल बकाया राशि (निधिक और गैर-निधिक सीमा) एक करोड़ रुपये और उससे अधिक है।

5.3.2भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को चूककर्ताओं (अर्थात् संदिग्ध और हानिवाले के रूप में वर्गीकृत अग्रिम) की जानकारी परिचालित कर रहा है। बैंक और वित्तीय संस्थाएं इस जानकारी का उपयोग मौजूदा और नए ग्राहकों की नई और अतिरिक्त ऋण सीमा के अनुरोधों पर विचार करते समय कर सकते हैं।

5.3.3 शहरी सहकारी बैंक संदिग्ध अथवा हानि के रुप में वर्गीकृत 1 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक राशि के बाद दायर खातों की तिमाही सूची क्रेडिट इंफार्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लि को तथा /अन्य किसी ऋण आसूचना कंपनी को प्रस्तुत करनी चाहिए जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है और आपका बैंक उसका सदस्य है।

5.3.4 सभी शहरी सहकारी बैंकों को 25 लाख रुपये तथा उससे अधिक राशि के इरादतन चूककर्ताओं के बाद दायर खातों की सूची प्रति वर्ष मार्च, जून, सितंबर तथा दिसंबर के अंत में क्रेडिट इंफार्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लि. तथा /अथवा अन्य किसी ऋण आसूचना कंपनी को प्रस्तूत करनी चाहिए जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण प्राप्त हो गया है और आपका बैंक उसका सदस्य है ।

5.3.5 उन उधार खातों से संबंधित आंकड़े जिनके विरुद्ध अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के आधार पर अग्रिम की वसूली (कुल बकाया राशि रु 1.00 करोड़ और अधिक) के लिए वाद-दाखिल किए गए हैं तथा 25 लाख रुपये एवं उससे अधिक की बकाया राशि वाले इरादतन चूककर्ताओं के वादकृत खातों से संबंदित आंकड़े www.cibil.com पर उपलब्ध हैं।

5.3.6 बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए सूची का सत्यापन कर सकते हैं कि चूककर्ता उधारकर्ता इकाई और वाद-दाखिल सूची में नामबध्द मालिकों / साझेदारों / निदेशकों को उनके नाम से और अन्य इकाइयों के नाम से जिनसे वे संबद्ध हैं और ऋण सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं ।

5.3.7 चूककर्ता बैंक यदि चाहें तो चूककर्ता के बारे में बैंक/वित्तीय संस्था से पूछताछ, कर सकते हैं।

5.4 25 लाख और अधिक रुपये के जान-बूझकर चूकों के मामलों की जानकारी एकत्रित करना और उसका प्रसार

5.4.1 अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए तिमाही आधार पर 31 मार्च 1999 के बाद हुए या पता लगे जान-बूझकर चूकवाले सभी मामलों को अनुबंध 3 में दिए गए प्रारूप में रिपोर्ट करना आवश्यक है । सभी अनर्जक उधार खाते (निधिक और गैरनिधिक सुविधाएं) जिन्हें निधिक सुविधाओं में शामिल कर लिया है, शामिल होंगे जिनकी बकाया राशि 25.00 लाख और अधिक रुपये होगी ।

5.4.2 सभी शहरी सहकारी बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे 25 लाख रुपये तथा उससे अधिक राशि के इरादतन चूककर्ताओं के बाद दायर खातों की सूची प्रति वर्ष मार्च, जून, सितंबर तथा दिसंबर के अंत में क्रेडिट इंफार्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लि. तथा /अथवा अन्य किसी ऋण आसूचना कंपनी को प्रस्तूत करें जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण प्राप्त हो गया है और आपका बैंक उसका सदस्य हो ।

5.4.3 जान-बूझकर चूक करना तब माना जाएगा जब :

(ए) इकाई में अपने दायित्वों को सकारने की क्षमता होते हुए भी उधारदाता को भुगतान/पुनर्भुगतान संबंधी दायित्वों के निर्वाह में चूक की हो ।

(बी) इकाई ने उधारदाता को भुगतान / पुनर्भुगतान करने संबंधी दायित्वों के निर्वाह में चूक की हो और उधारदाता से प्राप्त वित्त को उस विशिष्ट प्रयोजनके लिए इस्तेमाल नहीं किया हो जिसके लिए वित्त मंजूर किया गया था और उसने वित्त को अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया हो ।

(सी) इकाई ने उधारदाता को भुगतान / पुनर्भुगतान करने संबंधी दायित्वों के निर्वाह में चूक की हो उसने निधियों को खाते से निकाल लिया हो ताकि निधियों का उस विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयोग न हो सके जिसके लिए वित्त लिया गया था, और इकाई के पास निधियां अन्य आस्तियों के रूप में भी उपलब्ध न हों ।

(डी) इकाई ने उधारदाता को भुगतान / पुनर्भुगतान करने संबंधी दायित्वों के निर्वाह में चूक की हो तथा उसने मीयादी ऋण के लिए जमानत की तौर पर रखी चल संपत्ति या अचल संपत्ति का बैंक या उधारदाता की जानकारी के बिना निपटान किया हो ।

5.4.4 **कट-ऑफ लिमिट्स**

यद्यपि दंडात्मक उपायों की ओर जानबुझकर चूक करने वालों के रूप में पता लगाए गए उधारकर्ताओं और निधियों के विशाखन / साइफनिंग में शामिल प्रवर्तकों का ध्यान अधिक जाता है, अनुसूचित बैंकों द्वारा जानबूझकर चूक करनेवालों की सूचना रिज़र्व बैंक को देने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित की गई 25.00 लाख रुपये की ऋण सीमा को ध्यान में रखते हुए 25.00 लाख और उससे अधिक रुपये की बकाया राशि वाले जान-बूझकर चूक करने वाले किसी भी चूककर्ता पर नीचे पैरा 6.6 में निर्धारित दंडात्मक उपाय लागू होंगे । 25.00 लाख रुपये की सीमा निधियों के साइफनिंग /विशाखन का संज्ञान लेने के लिए भी लागू होगी ।

5.4.5 **दंडात्मक उपाय**

जान-बूझकर चूक करनेवालों को पूंजी बाजार में जाने से रोकने के लिए रिज़र्व बैंक जान-बूझकर चूक करनेवालों की सूची सेबी को भी प्रस्तुत करता है। यह भी निश्चय किया गया है कि जान-बूझकर चूक करनेवालों के लिए अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए।

(ए) जानबूझकर चूक करनेवालों को कोई अतिरिक्त सुविधा न दी जाए। इसके अलावा, उन उद्यमियों /प्रवर्तकों की कंपनियों में जहां बैंक को निधियों की साइफनिंग / विशाखन, मिथ्यारूपण, जालसाजी और कपटपूर्ण लेनदेनों का पता चला है उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जान-बूझकर चूक करने वालों की सूची में नाम प्रकाशित किए जाने की तारीख से 5 वर्ष

की अवधि के लिए नए उद्योग शुरू करने हेतु संस्थागत वित्तपोषण से वंचित कर दिया जाना चाहिए ।

(बी) जहां आवश्यक हो, उधारकर्ताओं/गारंटरों और ऋण के मोचन निषेध के विरुद्ध शीघ्र कानूनी कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। उधारदाता जान-बूझकर चूक करनेवालों के विरुद्ध जहां आवश्यक हो आपराधिक मामला भी दर्ज कर सकता है ।

(सी) जहां संभव हो, बैंकों को जान-बूझकर चूक करनेवाली उधारकर्ता इकाई के प्रबंधतंत्र में परिवर्तन के लिए अनुकूल दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे संपूर्ण प्रक्रिया के लिए पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करें ताकि दंडात्मक उपबंधों का दुरुपयोग न हो और विवेकपूर्ण शक्तियों के उपयोग को न्यूनतम रखा जा सके। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी अकेले और एकमात्र अवसर को दंडात्मक उपायों का आधार नहीं बनाना चाहिए ।

5.4.6 समूह के मामले में : किसी ग्रुप में जान-बूझकर चूक करने वाली किसी अकेली कंपनी पर विचार करते समय बैंकों को उधारदाता को उसके चुकौती करने के संदर्भ में उसके पिछले रेकार्ड पर ध्यान देना चाहिए। तथापि, उन मामलों में जहां जानबूझकर चूक करनेवाली इकाइयों की ओर से कंपनियों के समूह द्वारा दिया गया लेटर ऑफ कंफर्ट और /या गारंटियां अनुसूचित बैंकों द्वारा आह्वान किए जाने पर सकारी नहीं जाती हैं तो ऐसी कंपनियों के समूह को भी / जान-बूझकर चूककर्ता माना जाएगा ।

5.4.7 लेखापरीक्षकों की भूमिका : यदि बैंकों को उधारकर्ता के खातों में कोई हेरा-फेरी नजर आए और यह पता चले कि लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा करने में लापरवाह और अक्षम रहे थे तो बैंक उधारकर्ता के लेखा परीक्षकों के विरुद्ध भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आईसीएआई) में एक औपचारिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं ताकि आइसीएआई जांच-पड़ताल करके लेखापरीक्षकों की जवाबदेही तय कर सकें ।

निधियों के अंतिम उपयोग पर निगरानी रखने के लिए यदि उधारदाता उधारकर्ता द्वारा निधियों के साइफनिंग / विशाखन किए जाने के बारे में उधारकर्ता के लेखापरीक्षक से विशिष्ट प्रमाणपत्र चाहता है तो उधारदाता को इस प्रयोजन के लिए लेखापरीक्षकों को एक अलग अधिदेश देना चाहिए। लेखापरीक्षकों को ऐसा प्रमाणपत्र देने में सुविधा हो, इसलिए अनुसूचित बैंकों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण करार में यथोचित प्रतिज्ञापत्र शामिल किया जाए ताकि उधारदाता द्वारा उधारकर्ताओं / लेखापरीक्षकों को अधिदेश दिया जा सके ।

5.4.8 **चूक कर्ता उधारकर्ताओं से बकाया राशि वसूली के लिए मुकदमा दाखिल करना**

अनुसूचित बैंको को जानबूझकर चूक के 1.00 करोड़ और अधिक रुपये वाले सभी मामलों की जांच करनी चाहिए और ऐसे मामलों में, यदि पहले न किया हो तो, मामला दर्ज करना चाहिए। बैंकों को यह भी देखना चाहिए कि ऐसे मामलों में धोखेबाजी/ धोखाधड़ी तो नहीं हुई है और यदि हुई हो तो उन्हें ऐसे उधारकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करना चाहिए। 1.00 करोड़ रुपये से कम के मामलों में बैंकों को चूककर्ता उधारकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सहित यथोचित कार्रवाई करनी चाहिए ।

6.. अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश अनुबंध 4 में दिए गए है। सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) जों विनिर्माण या उत्पादन तथा सेवाएँ प्रदान करने अथवा उपलब्ध कराते है ,की परिभाषा अनुबंध 5 में दी गयी हैं.।

7. विशिष्ट ऋण गतिविधियां

7.1 संपूरक ऋण /अंतरिम वित्त

7.1.1 प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा किसी भी कंपनी (वित्तीय कंपनियों सहित) को संपूरक ऋण / अंतरिम वित्तपोषण प्रदान करने पर पूर्णत: प्रतिबंध है ।

7.1.2 संपूरक ऋण / अंतरिम वित्त की मंजूरी पर लगा प्रतिबंध यूरो निर्गमों पर भी लागू है ।

7.1.3 बैंकों को ग़ैर-जमानती परक्राम्य नोट, घट-बढ़ दर वाले ब्याज बाँडों आदि के साथ - साथ अल्पावधि ऋणों, जिनकी चुकौती बाह्य/अन्य स्रोतों से संग्रहित की जानेवाली प्रस्तावित / प्रत्याशित निधियों से की जाती है न कि आस्तियों के इस्तेमाल से उत्पन्न अधिशेष से, जैसे विभिन्न नामावली के अंतर्गत स्वीकृत ऋण के अभिप्राय से इन अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए ।

7.1.4 यदि किसी बैंक ने संपूरक ऋण / अंतरिम वित्त मंजूर और वितरित किया हो तो उसे उसके पूर्ण ब्योरे के साथ यह प्रमाणित करते हुए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करना चाहिए कि ऋण उसी प्रयोजन के इस्तेमाल किया गया है जिसके लिए पब्लिक इश्यू और / या बाजार से उधार वांच्छित था । इसके बाद संबंधित बैंक को स्वीकृत और वितरित किए गए ऐसे संपूरक ऋण / अंतरिम वित्त की चुकौती सुनिश्चित करने के लिए तुरंत उपाय करने चाहिए और किसी भी परिस्थिति में बैंकों को मौजूदा संपूरक ऋण / अंतरिम वित्त की चुकौती के लिए समय -विस्तार अनुमत नहीं करना चाहिए ।

7.1.5 ये दिशानिर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 21 और 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं ।

7.2 स्थावर संपदा तथा वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र को अग्रिम

शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए स्थावर संपदा ऋणों की कुल राशि की उच्चतम सीमा, ऐसे ऋण की एकल/सकल ऋण जोखिम सीमा, मार्जिन, जमानत, चुकौती सूची और अनुपूरक वित्त की उपलब्धता के संबंध में विस्तृत विवेकपूर्ण मानदंड बनाने चाहिए और संबंधित नीति बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।वाणिज्यिक स्थावर संपदा के लिए भवन निर्माताओं तथा ठेकेदारों को दिया जाने वाले ऋण में वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुल-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराएदारी वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा वेअरहाउस स्पेस, होटल आदि)पर दृष्टिबंधक द्वारा जमानती निधि-आधारित तथा ग़ैर-निधि-आधारित ऋण शामिल होंगे। इसके अलावा नीति बनाते समय बैंकों को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता को भी उसमें शामिल करने पर विचार करना चाहिए। इस संबंध में विस्तृत विवरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट (www.bis.org.in) को देखा जा सकता है।

7.3 पट्टेदारी / किराया खरीद कंपनियों का वित्तपोषण

7.3.1 **सदस्य के रूप में वित्तीय कंपनियों को सूचीबद्ध करना**

(i) शहरी सहकारी बैंकों से सामान्यत: यह अपेक्षित नहीं है कि वे निवेश और वित्तीय कंपनियों जैसी वित्तीय संस्थाओं को अपना सदस्य बनाएं क्यों कि यह संबंधित राज्य के सहकारी सोसायटी अधिनियम का उल्लंघन होगा और सभी बैंकों द्वारा अपनाए जाने के लिए संस्तुत आदर्श उपविधि सं.9 के उपबंधों के अनुरूप नहीं होगा ।

(ii) अत:प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को पट्टेदारी / किराया खरीद का कार्य करनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीयकंपनियों को छोडकर गैर बैंकिंग वित्तीयकंपनियों को वित्तपोषण प्रदान करनें की अनुमति नहीं है। इस प्रकार की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 15 सितंबर 2008 के डीएनबीएस परिपत्र के माध्यम से असेट फिनान्स कंपनी के रूप में पुनवर्गीकृत किया गया है।

7.3.2 असेट फिनान्स कंपनियों के वित्तपोषण संबंधी मानदंड

(i) वित्तीय और निवेश कंपनियों के मामलों की तरह उन गैर बैंकिंग कंपनियों को जो पूर्णत: पट्टेदारी / किराया खरीद के कारोबार में नहीं लगी हैं, सदस्य के रूप में प्रवेश देना संबंधित राज्य के सहकारी सोसायटी अधिनियम और उपरोक्त आदर्श उप-विधि के प्रतिकूल होगा ।

अत: बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा की वे ऐसी संस्थाओं को सदस्य बनाने से पहले निबंधक, सहकारी सोसायटियां का अनुमोदन प्राप्त कर लें ।

(ii) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक द्वारा असेट फिनान्स कंपनियों को बड़ी मात्रा में वित्तपोषण प्रदान किया जाना रिज़र्व बैंक को पसंद नहीं है क्यों कि बैंकों से मूलत: यह अपेक्षित है कि वे छोटे साधनोंवाले व्यक्तियों की ऋण आवश्यकतओं को पूरा करें ।

(iii) वर्तमान में 25 करोड़ और अधिक रूपये की कार्यशील पूंजीगत निधियों वाले बैंकों को ही पट्टेदारी /किराया खरीद कंपनियों को वित्तपोषण प्रदान करने की अनुमति दी गई है और वह भी अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ सहायता संघ (कंसोरटियम) के रूप में ऐसी कंपनियों को वित्त प्रदान करते समय बैंकों को निम्नलिखित मानदंडों का पालन करना चाहिए :

(ए) पट्टेदारी / किराया खरीद कंपनियों को वित्तपोषण प्रदान करने का स्तर उनकी स्वाधिकृत निधियों पर निर्भर होगा जिसकी सकल उच्चतम सीमा उनकी स्वाधिकृत निधियों के 10 गुना होगी।

(बी) ऐसी कंपनियां जो पूर्णत: उपस्कर पट्टेदारी और किराया खरीद में लगी हुई हैं और ऐसी पट्टेदारी / किराया खरीद कंपनियां जो प्रमुख रूप से उपस्कर पट्टेदारी / किराया खरीद कारोबार में लगी हुई हैं, (अर्थात् उनकी कम से कम 75 प्रतिशत आस्तियां उपस्कर पट्टेदारी और किराया खरीद में है और उनके लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार उनकी सकल आय का 75 प्रतिशत अंश इन दो प्रकार के कार्यकलापों से प्राप्त होता है) को उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों के 10 गुना की सकल उधार उच्चतम सीमा के भीतर उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों के तीन गुना की उच्चतम सीमा तक बैंक ऋण प्रदान किया जा सकता है ।

(सी) अन्य उपस्कर पट्टेदारी / किराया खरीद कंपनियों के मामले में (अर्थात् उपस्कर पट्टेदारी / किराया खरीद कारोबार में जिनकी 75 प्रतिशत से कम आस्तियां हैं और उनके लेखा परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार इन दो कार्यकलापों से प्राप्त होनेवाली आय 75 प्रतिशत से कम है) ऋण सीमा स्वाधिकृत निधियों के वर्तमान में चार गुना के बजाय दो गुना होगी ।

7.4 सूचना प्रौद्योगिक और साफ्टवेयर उद्योग को कार्यशील पूंजीगत वित्त प्रदान करना

7.4.1 बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से ऋण नीति तय करें व अधिकतम देय बैंक वित्त (एमपीबीएफ) के सिध्दांत के आधार पर पूंजी वित्त के आकलन का तरीका भी निश्चित करें । बैंकों को परिचालनगत स्वतंत्रता दिए जाने

के मामले में तो भारतीय रिज़र्व बैंक की नीति में कोई परिपवर्तन नहीं हुआ है लेकिन चूंकि बैंक जिस प्रकार अन्य परंपरागत उद्योग को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराते हैं उसी प्रकार वभिन्न कारणों से सॉफ्टवेयर उद्योग को भी पर्याप्त ऋण उपलब्ध नहीं करा रहें हैं जिसके चलते साफ्टवेयर उद्योग क्षेत्र की ऋण संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण कर पाना तथा तद्नुसार अनुवर्ती कार्रवाई करना असंभव नहीं तो कठिन जरूर हो गया है।

7.4.2.सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर उद्योग क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी विभिन्न पहलुओं के मामले में बैंकों के दृष्टिकोण में एकरूपता लाने के लिए रिज़र्व बैंक ने बैंकों की जानकारी के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं ताकि उस क्षेत्र को सुगमता से ऋण प्राप्त हो सकेध। ये अनुदेश अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों को संबोधित हमारे दिनांक 5 अक्तूबर 1998 के परिपत्र डीएस.एसयूबी. सं.4/13.05.00/98-99 के साथ संलग्न किए गए थे। तथापि, इससे संबंधित देशा-निर्देशों के उद्देश्य की विधिवत् प्राप्ति के लिए बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक को पत्र लिखे बिना भी अपने अनुभवों के आधार पर इन दिशा-निर्देशों में संशोधन कर सकते हैं ।

7.4.3.साफ्टवेयर उद्योग को ऋण उपलब्ध कराने के तौरतरी कों का अध्ययन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त किए गए अध्ययन दल की अनुशंसाओं के आधार पर तथा उद्योग संधों द्वारा दिए गए सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए ये दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं ।

7.4.4. यह क्षेत्र चूंकि विनियोजन का अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है, इसलिए बैंकों से अनुरोध है कि वे इस क्षेत्र में विशेषशता विकसित करने के लिए पर्याप्त आवश्कय कदम उठाएं ।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बैंकों द्वारा किए जानेवाले अन्य उपायों के अलावा स्टाफ को प्रशिक्षिण देने की आवश्यकता है ताकि वे इस नये कार्यक्षेत्रगत परियोजना मूल्यांकन में निपुणता हासिल कर सकें ।यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित स्टाफ इस उद्योग की अपेक्षाओं / आवश्यकताओं से परिचित हों और एतद्विषयक अद्यतन गतिविधियों की जानकारी रखता हो ताकि सूचना प्रौद्योगिकी व साफ्टवेयर उद्योगों को कार्यशील पूंजी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने से पहले परियोजना मूल्यांकन के उच्च मानक बनाए रखे जा सकें ।

7.5 सोना /चांदी के आभूषणों को गिरवी रखने के बदले में अग्रिम

7.5.1 सोना चांदी के आभूषणों को गिरवी रखकर ऋण मंजूर करने में अंतर्निहित जोखिम कम करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वे अनुबंध 6 में दिए गए सुरक्षा उपायों को पालन करे ।

7.5.2 **एकमुश्त चुकौती** - शहरी सहकारी बैंकों को अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से एक अतिरिक्त विकल्प के रूप 1.00 लाख रुपए तक के स्वर्ण ऋणों की एकमुश्त बड़ी और अंतिम चुकौती की निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अधीन अनुमति दी जाती है।

(i) मंजूर किए गए स्वर्ण ऋण की राशि कभी भी 1.00 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(ii) मंजूरी की तारीख से ऋण की अवधि 12 माह से अधिक न हो ।

(iii) इस खाते पर मासिक अंतराल पर ब्याज लगाया जाएगा लेकिन वह मूलधन के साथ भुगतान के लिए देय केवल मंजूरी की तारीख से 12 माह के अंत में ही होगा ।

(iv)बैंकों को ऐसे ऋणों के मामले में एक न्यूनतम मार्जिन बनाए रखनी चाहिए और तदनुसार प्रतिभूति (स्वर्ण / स्वर्णाभूषण) के मूल्य, मूल्य में संभावित उतार-चढ़ाव तथा ऋण की अवधि के दौरान लगने वाले ब्याज आदि का ध्यान में रखते हुए ऋण सीमा निर्धारित करनी चाहिए ।

(v) ऐसे ऋण आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण संबंधी मौजूदा मानदंडों से नियंत्रित होंगे तथा मूलधन एवं ब्याज के एक बार अतिदेय हो जाने की स्थिति में उन पर लागू होंगे ।

(vi) यदि निर्धारित मर्जिन नहीं बनाई रखी जा रही हो तो इस खाते को चुकौती की तारीख से पहले भी अनर्जक आस्ति (अवमानक श्रेणी) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ।

7.5.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वर्ण / स्वर्णाभूषण की संपार्श्विक प्रतिभूति पर मंजूर फसल ऋणों पर आय निर्धारण,आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधारीकरण संबंधी मौजूदा मानदंड लागू रहेंगे ।

7.5.4 स्वर्णाभूषणों पर हालमार्क अंकित करने से स्वर्णाभूषणों में इस्तेमाल किए गए सोने की गुणवत्ता यथा उसके कैरेट, उपयुक्तता तथा शुद्धता सुनिश्चित होती है। बैंकों के लिए इस प्रकार हालमार्क अंकित स्वर्णाभूषणों की जमानत पर अग्रिम मंजूर करना अधिक सुरक्षित तथा सरल होगा। हालमार्क अंकित स्वर्णाभूषणों को तरजीह देने से हालमार्क अंकित करने की प्रथा को बढ़ावा मिलने की संभावना है जोकि उपभोक्ताओं, साहूकारों तथा उद्योग के दीर्घकालिक हित में होगा। इसलिए बैंकों को स्वर्णाभूषणों की जमानत पर अग्रिम मंजूर करते समय हालमार्क अंकित स्वर्णाभूषणों के लाभों को ध्यान में रखना चाहिए तथा उन पर ब्याज के मार्जिन एवं दरों को तय करना चाहिए।

7.6 किसान विकास पत्रों सहित लघु बचत लिखत खरीदने/उनमें निवेश करने के लिए ऋण प्रदान करना

किसान विकास पत्र खरीदने/उसमें निवेश करने के लिए ऋणों की मंज़ूरी से नए बचत को बढ़ावा नहीं मिलता बल्कि इससे बैंक जमाराशियों के रूप में मौज़ूदा बचत का उपयोग लघु बचत लिखतों में कर दिया जा रहा है जिससे इस प्रकार की योजनाओं का मूल उद्देश्य ही नाकाम हो जाता है। इसलिए बैंक यह सुनिश्चित करें कि किसान विकास पत्रों सहित लघु बचत लिखत खरीदने/उनमें निवेश करने के लिए कोई ऋण मंज़ूर न किए जाएं।

8. बैंकों द्वारा बिलों की भुनाई / पुनर्भुनाई

असली वाणिज्यिक / व्यापार बिलों की खरीद / भुनाई / बेचान / पुनर्भुनाई करते समय बैंक निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करें :

8.1 चूँकि उधारकर्ताओं की कार्यशील पूँजी सीमाओं का मूल्यांकन / मंजूरी के लिए बैंकों को अपने दिशा-निर्देश तय करने की आजादी पहले ही दे दी गई है, इसलिए वे उधारकर्ताओं की ऋण संबंधी जरुरतों का उचित मूल्यांकन करने के पश्चात तथा उनके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण नीति के अनुसार ही उधारकर्ताओं की कार्यशील पूँजी की सीमा तथा बिल सीमा की भी मंजूरी दें।

8.2 बैंकों को अपने निदेशक मंडलों द्वारा अनुमोदित एक स्पष्ट बिल भुनाई नीति बनानी चाहिए जो उनकी कार्यशील पूँजी की मंजूरी की नीति के अनुरूप होनी चाहिए। इस मामले में निदेशक मंडल के अनुमोदन की प्रक्रिया में बैंक की मुख्य परिचालन प्रक्रिया को बिल को भुनाने के लिए प्रस्तुत करने से लेकर उन्हें भुनाए जाने तक की समयावधि में शामिल करना चाहिए। बैंक अपनी मुख्य परिचालन प्रक्रियाओं की समीक्षा करें तथा बिलों के वित्तीयन से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाएं। बिलों की भुनाई में विलंब की बार-बार उल्लटख की जाने वाली समस्या के निदान के लिए बैंक जहाँ - जहाँ उपलब्ध हो वहाँ-वहाँ स्ट्रक्चर्ड फाइनांशियल मेसेजिंग प्रणाली (एसएफएमएस) जैसे उन्नत कंप्यूटर / संचार नेटवर्क का लाभ उठायें तथा अपने ग्राहकों के खातों की `राशि उपलब्धता तारीख' (वेल्यू डेटिंग) की प्रणाली अपनाएं ।

8.3 बैंकों को अपने उन्हीं उधारकर्ता ग्राहकों के उचित वाणिज्यिक तथा व्यापार लेनदेनों के संबंध में साख पत्र खोलना चाहिए तथा केवल साख पत्रों के अंतर्गत बिलों की खरीद / भुनाई /बेचान करना चाहिए जिन्हें बैंक द्वारा नियमित ऋण सुविधाएं मंजूर की गई हैं। इसलिए, बैंकों को साख पत्र खोलने, गैर-ग्राहक उधारकर्ता या / किसी सहायता संघ के गैर-ग्राहक सदस्य / बहु-बैंकिंग व्यवस्था को गारंटियाँ तथा स्वीकृतियाँ प्रदान करने जैसी निधि आधारित (बिलों के वित्तीयन सहित) या गैर-निधि आधारित सुविधाएं नहीं देनी चाहिए।

8.4 साखपत्र के अंतर्गत आहरित बिल किसी खास शहरी सहकारी बैंक तक प्रतिबंधित होने तथा साखपत्र का हिताधिकारी नियमित ऋण सुविधा प्राप्त उधारकर्ता न होने की स्थिति में

संबंधित शहरी सहकारी बैंक 30 मार्च 2012 से अपने विवेकानुसार तथा साखपत्र जारी करनेवाले बैंक के साख के संबंध में अपनी धारणा के आधार पर, इस प्रकार के साखपत्रों का बेचान कर सकता है; बशर्ते साखपत्र से प्राप्त होनेवाली राशि हिताधिकारी के नियमित बैंकर को प्रेषित की जाएगी । तथापि, जिन उधारकर्ताओं को नियमित ऋण सुविधा मंजूर नहीं की गई है, उनके अप्रतिबंधित साखपत्रों के बेचान पर लागू प्रतिबंध जारी रहेगा । ऊपर दिए गए अनुसार प्रतिबंधित साखपत्र के अंतर्गत बिल बेचान करनेवाले शहरी सहकारी बैंकों को उधार के साथ शेअर लिंकिंग तथा सदस्यता संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में आरबीआई / आरसीएस या सीआरसीएस के अनुदेशों का पालन करना होगा ।

8.5 ऋण सीमा के उद्देश्य से साख पत्र या अन्यथा के अंतर्गत खरीदे गए / भुनाए गए / बेचान किए गए बिलों (जहां लाभार्थी को "अंडर रिज़र्व" भुगतान नहीं किया गया है) को साख पत्र जारी करने वाले बैंक का ऋण माना जाएगा न कि उधारकर्ता का। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है सभी नए बेचानों पर वही जोखिम भार लगाया जाएगा जो पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से सामान्यत: अंतर-बैंक ऋणों पर लागू है। "अंडर रिज़र्व" बेचानों के मामले में ऋण उधारकर्ता पर माना जाएगा और तदनुसार उसे जोखिम-भारित किया जाएगा।

8.6 साख पत्रों के अधीन या अन्यथा बिलों की खरीद/भुनाई / बेचान करते समय बैंकों को आधार लेनदेनों / दस्तावेजों केऔचित्य को सुनिश्चित करना चाहिए ।

8.7 बैंक यह सुनिश्चित करें कि कोरे चेकों, मांग ड्राफ्टों आदि जैसी प्रतिभूति मदों की तरह कोरे साख पत्र फॉर्मों को भी सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाता है और दैनिक आधार पर उनका सत्यापन / स्टॉक मिलान किया जाता है । ग्राहकों को साख पत्र फार्म बैंक के प्राधिकृत अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर के अंतर्गत जारी किए जाने चाहिए ।

8.8 `दायित्व रहित' लिखे हुए विनिमय बिल आहरित करने तथा `दायित्व रहित` प्रतीक वाले साख पत्र जारी करने की प्रथा को प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के संकेत बेचान करने वाले को दायित्व के अधिकार से वंचित करते हैं जो बैंक को परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत अदाता को प्राप्त होता है । इसलिए, बैंकों को `दायित्व रहित' वाक्यांश वाले साख पत्र नहीं खोलने चाहिए तथा बिलों की खरीद / भुनाई / बेचान नहीं करना चाहिए।

8.9 बैंकों द्वारा निभाव बिलों की खरीद / भुनाई / बेचान नहीं की जानी चाहिए । आधार व्यापार लेनदेनों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए तथा उनका एक समुचित रेकार्ड बिलों का लेनदेन करने वाली शाखाओं में रखा जाना चाहिए ।

8.10 बैंकों को बड़े औद्योगिक समूहों द्वारा अन्य समूह कंपनियों के लिए स्थापित प्रं€ट वित्तीय कंपनियों द्वारा आहरित बिलों की भुनाई करते समय सतर्क रहना चाहिए।

8.11 बिलों की पुनर्भुनाई अन्य बैंकों द्वारा धारित मीयादी बिलों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। बैंकों को हलके वाणिज्यिक वाहनों तथा दुपहिया/तिपहिया वाहनों की बिक्री से संबंधित बिलों को छोड़कर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा पहले भुनाए गए बिलों की पुनर्भुनाई नहीं करनी चाहिए।

8.12 बैंक सेवा क्षेत्र के बिलों की भुनाई में अपने वाणिज्यिक निर्णय लें। तथापि, ऐसे बिलों की भुनाई करते समय बैंक यह सुनिश्चित करें कि वास्तविक सेवाएं प्रदान की जाती हैं और निभाव बिलों की भुनाई नहीं की जाती है। **सेवा क्षेत्र के बिल पुनर्भुनाई के पात्र नहीं होने चाहिए ।** इसके अलावा, सेवा क्षेत्र के बिलों को गैरजमानती अग्रिम माना जाए और इसलिए वे शहरी बैंक विभाग द्वारा गैरजमानती अग्रिमों के लिए निर्धारित सीमा के अंदर होने चाहिए ।

8.13 भुगतान अनुशासन का उन्नत करने के लिए जो एक निश्चित सीमा तक बिलों की स्वीकृति को प्रात्साहित करेगा, सभी निगमों और अन्य ग्राहक उधारकर्ताओं को जिनका टर्नओवर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा यथा निर्धारित आरंभिक स्तर से ऊपर है, के लिए अपनी अतिदेय देयराशियों की कालावधि सुची (एजिंग शिड्युल) को बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाली विवरणीयों में प्रकट करना अधिदेशात्मक होना चाहिए ।

8.14 बैंकों को संपार्श्विक रूप से भुनाए गए / पुनर्भुनाए गए बिलों का इस्तेमाल करके किए गए रीपो लेनदेनों का स्वीकार नहीं करना चाहिए । इन अनुदेशों के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और भारतीय रिज़र्व बैंक दंडात्मक कार्रवाई करेगा।

9. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) /संयुक्त देयता समूह (जेएलजी)को उधार देने के लिए दिशा निर्देश

निम्न बताए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, शहरी सहकारी बैंक इस मामले के संदर्भ में अपने बोर्ड द्वारा गठित एवं अनुमोदित नीति के अनुसार स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) /संयुक्त देयता समूह (जेएलजी)को उधार दे सकते हैं ।

9.1. उधार नीति

स्वयं सहायता समूह /संयुक्त देयता समूह को उधार यह बैंक की सामान्य कारोबार गतिविधि मानी जाएगी। शहरी सहकारी बैंक को स्वयं सहायता समूह /संयुक्त देयता समूह को उधार देने पर अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से व्यापक नीति तैयार करना

आवश्यक है । ऋण की अधिकतम मात्रा, ऋण पर लगाया जानेवाला ब्याज दर आदि सहित यह नीति बैंक की समग्र ऋण नीति का भाग होनी चाहिए ।

9.2 **उधार देने की पद्धति**

शहरी सहकारी बैंक स्वयं सहायता समूह /संयुक्त देयता समूह को सीधे उधार देने की पद्धति अपनाएं। मध्यस्थों के माध्यम से उधार देने की अनुमति नही है ।

9.3 **स्वयं सहायता समूह /संयुक्त देयता समूह का सदस्य के रूप में नामांकन**

स्वयं सहायता समूह औपचारिक /अनौपचारिक, व्यक्तियों के छोटे समूह है जो सदस्यों की बचत की आदत को बडावा देते है । यह बचत राशि आय अर्जन करने के लिए फिर सदस्यों को उधार दी जाती है । दूसरी तरफ संयुक्त देयता समूह यह व्यक्तियों का अनौपचारिक समूह है जो एक ही प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंक से एकल रूप में या समूह के माध्यम से पारस्परिक गारंटी के बदले मे ऋण लेने के लिए एकत्रित होता है । स्वयं सहायता समूह सामान्यत: 10 से 20 सदस्यों का होता है जब कि संयुक्त देयता समूह में सामान्यत: 4 से 10 सदस्य होते है । सदस्यता संबंधी मामले बैंक द्वारा अपनाए गए उप नियम तथा संबंधित राज्य सहकारी समितियां अधिनियम या बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत हैं । अत: इस प्रकार के सदस्यों का नामांकन करते समय तथा स्वयं सहायता समूह /संयुक्त देयता समूहों को ऋण प्रदान करते समय शहरी सहकारी बैंकों को संबंधित अधिनियमों में निहित प्रावधानें का मार्गदर्शन करने तथा जहा आवश्यक हो आरसीएस /सीआरसीएस की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। शहरी सहकारी बैंकों को अपने उपनियमे में भी इस प्रकार के उधार के लिए प्रावधान करना चाहिए ।

9.4 **शेयर लिंकिंग मानदंड**

उधार के लिए शेयर लिंकिंग संबंधी वर्तमान अनुदेश स्वयं सहायता समूह /संयुक्त देयता समूह को उधार देने पर लागू होगे ।

9.5 **ऋण का स्वरूप - जमानती या गैर-जमानती**

गैर-जमानती ऋण और अग्रिम प्रदान करने पर विद्यमान सीमाएं (व्यक्तिगत और कुल) स्वयं सहायता समूहों को उधार देने पर लागू नहीं हैं । तथापि शहरी सहकारी बैंकों द्वारा संयुक्त देयता समूहों को मूर्त जमानत से समर्थित ऋण की सीमा तक उसे गैर-जमातनी समझा जाएगा तथा गैर-जमानती ऋण और अग्रिमो की सीमा के अधीन होगा।

9.6 **एक्सपोजर का स्वरूप - वैयक्तिक समूह**

स्वयं सहायता समूह /संयुक्त देयता समूहो को दिए गए ऋण पर वैयक्तिक एक्सपोजर सीमा के दिशा निर्देश लागू होंगे ।

9.7 **ऋण की राशि**

स्वयं सहायता समूह को दिए जानेवाले ऋण की राशि समूह की बचत राशि के चार गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए । अच्छी तरह प्रबंधित स्वयं सहायता समूहों के मामले में समूह की बचत के दस गुना सीमा तक यह सीमा बढायी जा सकती है । समूह को वस्तुपरक मापदंड के आधार पर जैसे सिद्ध ट्रेक रिकार्ड, बचत का पैटर्न, वसूली दर, हाउस किपिंग, रेटिंग दिया जाए ।

संयुक्त देयता समूह के लिए बैंक में जमाराशि रखना बाध्य नहीं है तथा संयुक्त देयता समूहों को उनकी ऋण आवश्यकता और इस संबंध में बैंक के मूल्यांकन के आधार ऋण प्रदान किया जाएगा ।

9.8 **ऋण के लिए मार्जिन और जमानत**

मार्जिन /जमानत से संबंधी आवश्यकता संबंधित शहरी सहकारी बैंक के निदेश मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होगी ।

9.9 **दस्तावेजीकरण**

शहरी सहकारी बैंक स्वयं सहायता समूह /संयुक्त देयता समूह की दिए जानेवाले ऋण के लिए ऋण का प्रयोजन तथा उधारकर्ता की हैसियत ध्यान में रखते हुए सरल दस्तावेजीकरण निर्धारित करें ।

9.10 **प्राथमिकता क्षेत्र**

स्वयं सहायता समूह /संयुक्त देयता समूह को कृषि या उससे संबंधित गतिविधियां के लिए दिए गए ऋण को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम समझा जाएगा । साथ ही स्वयं सहायता समूह /संयुक्त देयता समूह को रु.50000/- तक दिए गए अन्य ऋण को माइक्रो क्रेडिट समझा जाएगा तथा वह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम ही समझा जाएगा । स्वयं सहायता समूहों को उधार जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण के रूप में अर्हक है, कमजोर वर्ग को उधार के रूप में भी समझा जाएगा ।

9.11 **बचत खाता खोलना**

स्वयं सहायता समूह /संयुक्त देयता समूह शहरी सहकारी बैंकों में बचत खाता खोलने के लिए पात्र हैं।

9.12 **केवाइसी मानदंड**

शहरी सहकारी बैंकों को स्वयं सहायता समूह /संयुक्त देयता समूह का खाता खोलने /ऋण प्रदान करने से पहले शहरी सहकारी बैंकों को स्वयं सहायता समूह /संयुक्त देयता समूह के प्रत्येक सदस्य के संबंध में केवाइसी दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए ।

10 आयकर अधिनियम 1974 का पुनरुद्धार - उधारकर्ताओं से वसूली

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 16 अप्रैल 2004 के निर्णय मे यह आदेश दिया है कि लागू ब्याज के पूर्णांकन के माध्यम से वसूल उधारकर्ताओं से किया गया अतिरिक्त ब्याज बैंकों से वसूल किया जाए तथा सुविधाहिन जनता के लाभ के लिए बनाए जानेवाले ट्रस्ट में जमा किए जाए । माननीय न्यायालय ने यह भी आदेश किया है कि संबंधित बैंक इस निधि के लिए रु.50 लाख तक राशि का अंशदान किया जाना चाहिए। तदनुसार शहरी सहकारी बैंको को सूचित किया जाता है कि उधारकर्ताओं से ब्याज कर के लिए पूर्णांकंन के माध्यम से यदि कोई राशि वसूल की गयी हो तो उसे संदर्भित ट्रस्ट में जमा करें । सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रस्ट के नाम से स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, शाी भवन शाखा, नयी दिल्ली में बचत बैंक खाता सं. 65012067356 खोला है । शहरी सहकारी बैंक जिन्होने उधार कर्ताओं से ब्याज कर हेतु अगले 0.25% तक पूर्णाकंन के माध्यम से अतिरिक्त राशि वसूल की है,ट्रस्ट फंड मे संदर्भित राशि जमा करने के लिए जिम्मेदार है ।

11 प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र के लिए दिए जाने वाले राहत उपायों पर दिशा निर्देश

11.1 शहरी सहकारी बैंकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने परिचालन क्षेत्र में सूखे, बाढ़ और चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास सहायता प्रदान करें । इन दिशा निर्देशों को अनुबंध 2 में दिया गया हैं।

11.2 प्राकृतिक आपदाओं के होने पर राहत उपायों में होनेवाले विलंब को टालने के लिए बैंकों को अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से यथोचित नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार करने चाहिए। उपायों में लचीलापन होना चाहिए ताकि उन्हें स्थिति के अनुरूप यथोचित रूप से ढाला जा सके ।

11.3 बैंकों को संविदा अधिनियम और परिसीमन अधिनियम के संबंधित उपबंधों को हिसाब में लेते हुए अपने विधि विभाग से परामर्श करके आशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रलेखण का निपटान कर लेना चाहिए और वे इन दिशानिर्देशों से नियंत्रित मामलों से संबंधित प्रलेखण के बारे में अपने कार्यालयों को उचित अनुदेश दे सकते हैं ।

अनुबंध 1

संपत्ति का मूल्यांकन - मूल्यांकनकर्ताओं का पैनल

(देखें पैरा 4.9)

संपत्तियों के मूल्यन तथा मूल्यनकर्ताओं नियुक्ति पर नीति बनाते समय बैंक निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखें:

(क) संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए नीति

i) बैंकों के पास संपत्तियों के मूल्यन के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

ii) संपत्तियों का मूल्यन व्यावसायिक रूप से योग्यताप्राप्त स्वतंत्र मूल्यनकर्ताओं द्वारा करवाया जाना चाहिए अर्थात मूल्यनकर्ता का इससे कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं जुड़ा होना चाहिए।

iii) बैंकों द्वारा 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य की संपत्तियों के लिए कम से कम दो स्वतंत्र मूल्यन रिपोर्टें प्राप्त की जानी चाहिए।

आस्तियों के पुनर्मूल्यन के लिए एक विस्तृत नीति के अंतर्गत *अन्य बातों के साथ* पुनर्मूल्यन के लिए आस्तियों के पहचान की प्रक्रिया, इस प्रकार की आस्तियों के लिए अभिलेखों का अलग समूह बनाए रखने, पुनर्मूल्यन की आवृत्ति, इन आस्तियों के लिए मूल्यॅास नीति, इस प्रकार की पुनर्मूल्यित आस्तियों की बिक्री की नीति आदि शामिल होनी चाहिए। इस नीति में पुनर्मूल्यन के अधीन निर्धारित आस्तियों की मूल लागत तथा मूल्यवृद्धि / मूल्यॅास आदि की लेखाकरण प्रक्रिया जैसे पुनर्मूल्यन के ब्योरे को "नोट्स ऑन अकाउंट" में अनिवार्य रूप से किया जाने वाला प्रकटन भी शामिल होना चाहिए। चूंकि पुनर्मूल्यन से निर्धारित आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन प्रदर्शित होना चाहिए इसलिए पुनर्मूल्यन की आवृत्ति का निर्धारण विगत में देखी गई आस्तियों की अस्थिर कीमतों के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा मूल्यॅास की विधि से किसी भी प्रकार के परिवर्तन से उन आस्तियों के भावी आर्थिक लाभों के उपभोग के संभावित तौर-तरीके में परिवर्तन की झलक मिलनी चाहिए। किसी विशेष श्रेणी की अस्ति के पुनर्मूल्यन की आवृत्ति/उसके मूल्यॅास की विधि में परिवर्तन करते समय बैंकों को इन सिद्धांतों का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए।

(ख) स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं का पैनल बनाने की नीति

(i) बैंकों के पास व्यावसायिक मूल्यनकर्ताओं का पैनल बनाने की एक निश्चित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा उन्हें "मूल्यनकर्ताओं की अनुमोदन सूची" का एक रजिस्टर बनाकर रखना चाहिए।

(ii) बैंक मूल्यनकर्ताओं का पैनल बनाने के लिए एक न्यूनतम अर्हता निर्धारित करें। भिन्न-भिन्न प्रकार की आस्तियों (उदाहरणार्थ भूमि और भवन, सयंत्र और मशीनरी, कृषि-भूमि आदि) के लिए अलग-अलग अर्हताएं तय करें। अर्हताएं निश्चित करते समय बैंक धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 34एबी(नियम 8ए) के अंतर्गत निर्धारित अर्हताओं को ध्यान में रखें।

2. बैंक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी संबंधित लेखाकरण मानक के दिशानिर्देशों का भी पालन करें।

अनुबंध 2

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा
<u>किए जानेवाले राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश</u>

(देखें पैरा 10.1)

1. सूखा, बाढ़, चक्रवात और ज्वार-भाटा और प्राकृतिक आपदाओं के आवधिक लेकिन बार- बार आने से देश के किसी न किसी क्षेत्र में जान और माल दोनों की काफी हानि होती है । ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई तबाही से लोगों के पुनर्वास के लिए सभी एजेंसियों को काफी प्रयास करने पड़ते हैं । राज्य और स्थानीय प्रधिकारी प्रभावित लोगों के आर्थिक पुनर्वास के लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं । वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों को दी गई विकासात्मक भूमिका में आर्थिक कार्यकलापों के पुनरूत्थान में इनका सक्रिया समर्थन आवश्यक है ।

2. चूंकि प्राकृतिक आपदाओं का क्षेत्र, समय और उसकी गहनता का पूर्वानुमान नहीं लगाया ना सकता है, इसलिए बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि उनके पास ऐसी दुर्घटनाओं के समय की जानेवाली कार्रवाई की ब्लू प्रिंट हो ताकि अपेक्षित राहत और सहायता तेजी से और बिना समय गंवाए प्रदान की जा सकेध। इससे यह पूर्व अपेक्षित है कि वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाओं, ओर क्षेत्रीय ओर आंचलिक कार्यालयों के पास स्थायी अनुदेशों का एक सेट हो जिसमें जिला/राज्य प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक घोषणा के बाद अपदाओं से प्रभावित इलाकों में शाखाओं द्वारा की जानेवाली कार्रवाई बताई गई हो। यह आवश्यक हैं कि यह जानकारी राज्य सरकार के अधिकारीयों और सभी जिला कलेक्टरों के पास उपलब्ध हो ताकि बैंक की शाखाओं द्वारा की जानेवाली कार्रवाई के प्रति सभी संबंधितों का दृष्टिकोण विलकुल साफ हो ।

3. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जानेवाली ऋण सहायता की व्यवस्था से संबंधित ब्योरा स्थिति की आवश्यकता, उनकी अपनी परिचालनगत क्षमता और उधारकर्ताओं की वास्तविक जरूरतों पर निर्भर करेगी। इसका निश्चय वे जिला अधिकारीयों के परामर्श से कर सकते हैं ।

4. तथापि बैंक तेजी से एक समान और सामंजस्यपूर्ण कार्रवाई कर सकें, विशेषत: प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कृषकों, लघु औद्योगिक इकाइयों, कारीगरों, छोटे व्यावसायी और व्यापारिक स्थापनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकें, निम्नलिखित दिशानिर्देशों की संस्तुति की जाती है।

5. वित्तीय संस्थाओं द्वारा समन्वित और शीघ्र कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए प्रभावित जिले की जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) के संयोजकों को प्राकृतिक आपदाओंकी घटना के तुरंत बाद एक बैठक बुलानी चाहिए । प्राकृतिक आपदाओं के कारण यदि राज्य का बड़ा

हिस्सा प्रभावित हुआ हो तो राज्य /जिला प्राधिकारियों के सहयोग से समन्वित कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की तुरंत एक बैठक बुलानी चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्ति द्वारा अपेक्षित सहायता की मात्रा तय करते समय बैंक व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार और / या अन्य एजेंसियों से प्राप्त सहायता / इमदाद कों हिसाब में ल सकते हैं ।

6. वाणिज्य बैंकों के विभागीय /आंचलिक प्रबंधकों को कतिपय विवेकपूर्ण शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए ताकि जिला / राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा की जानेवाली कार्रवाई की सहमति हो जाने पर उन्हें अपने केंद्रीय कार्यालय का नए सिरे से अनुमोदन न लेना पड़े । उदाहरण के लिए, उधारकर्ता की कुल देयताओं (अर्थात् पुराने ऋण से उत्पन्न जहाँ वित्तपोषित आस्तियां प्राकृतिक आपदाओं के कारण खो गई हों या क्षतिग्रस्त हो गई हों और ऐसी आस्तियों के सृजन/ मरम्मत के लिए नए ऋण, मार्जिन, जमानत आदि) को देखते हुए वित्त की मात्रा तय करने, ऋण अवधि का विस्तार करने, नया ऋण मंजूर करने के लिए ऐसी विवेकपूर्ण शक्तियां आवश्यक होंगी ।

7. **लाभार्थियों का पता लगाना**

बैंक शाखाओं को उनके परिचालन क्षेत्र में प्रभावित गावों की सूची संबंधित सरकारी प्राधिकारीयों से प्राप्त करनी चाहिए। पता लगाए गए व्यक्तियों में से बैंकों के मौजूदा ग्राहकों को हुई हानि का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। तथापि, नए उधारकर्ताओं के मामले में इस संबंध में गहन पूछताछ की जानी चाहिए और उनकी आवश्यकताओं की वास्तविकता का पता लगाने के लिए जहां कही उपलब्ध हो, सरकारी प्राधिकारीयों की सहायता ली जानी चाहिए। फसल ऋणों के संबंध में संपरिवर्तन की सुविधा प्रदान करने के लिए जहां यह सुविधा प्रदान की जानी है उस क्षेत्र का पता लगाने की क्रियाविधि नीचे पैराग्राफ 12 में बताई गई है ।

8. **व्याप्ति**

(i) प्रत्येक शाखा न केवल अपने मौजूदा उधारकर्ताओं को ऋण सहायता प्रदान करेगी बल्कि अपने कमांड क्षेत्र में पात्र अन्य व्यक्तियों को भी ऋण सहायता प्रदान करेगी बशर्ते अन्य किसी वित्तीय संस्था ने उन्हें शामिल न किया हो ।

(ii) सहकारी सोसायटियों के उधारकर्ता सदस्यों की ऋण आवश्यकताएं प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (फैक्स)/लैम्प्स /एफएसएस आदि द्वारा पूरी की जाएंगी। तथापि, वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं सहकारी सोसायटियों के गैर-उधारकर्ता सदस्यों को वित्तपोषण प्रदान कर सक ती हैं जिसके लिए सहकारी सोसायटी शीघ्रता से अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करेगी।

9. **प्राथमिकताएं**

खडी फसलों / फलोद्यानों / बागानों को बचाने और उनके नवीकरण के लिए वित्तीय सहायता सहित तत्पर सहायता आवश्यक होगी । उतना ही महत्वपूर्ण होगी पशुओं का गोठा, खाद्यान्न और चारा भंडार / ढांचा, ड्रेनेज पंपिंग और अन्य उपाय एवं पंपसेटों, मोटरों, इंजिनों और अन्य उपस्करों की मरम्मत संबंधी कार्य मौसमी आवश्यकताओं के अनुसार अगली फसल के लिए वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा ।

10. **कृषि ऋण**

(i) कृषि के संबंध में बैंक सहायता फसल उगाने के लिए अल्पावधि ऋण के रूप में और दुधारू पशु/ मेहनतकश पश्जा खरीदने, मौजूदा नलकूपों और पंपसेटों की मरम्मत करने, नऐ नलकूप खोदने और नए पंपसेट लगाने, भूमि उध्दार, गाद/बालू हटाने, खड़ी फसल, फलोद्यान / बागानों के संरक्षण और नवीकरण करने आदि, पशुओं के छाजन खाद्यान्न और चारा भंडारों आदि की मरम्मत और संरक्षण के लिए मीयादी ऋण के रूप में आवश्यक होगी ।

(ii) फसल ऋण :सूखा, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मामले में सरकारी प्राधिकारीयों ने जिस हद तक फसलों को क्षति हुई है उसके लिए आनेवारी घोषित की होगी। तथापि, जहां ऐसी घोषणा नही की गई है, वहां बैंकों को संपरिवर्तन सुविधाएं प्रदान करने में विलंब नहीं करना चहिए, ओर डीसीसी के विचारों के समर्थन में जिला कलेक्टर का यह प्रमाणपत्र कि फसल की पैदावार सामान्य पैदावार से 50 प्रतिशत कम है (जिसके लिए विशेष बैठक बुलाई जानी होगी) राहत व्यवस्था शीघ्र करने के लिए पर्याप्त होगा। कलेक्टर का प्रमाणपत्र खाद्यान्नों सहित सभी फसलों को शामिल करते हुए फसलवार जारी किया जाना चाहिए। नकदी फसलों के बारे में इस प्रकार के प्रमाणपत्र का जारी किया जाना कलेक्टर के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया है ।

(iii) कारगर होने के लिए किसानों को सहायता शीघ्रातिशीघ्र दी जानी चाहिए । इस प्रयोजन के लिए अग्रणी बैंक और संबंधित जिला अधिकारीयों को एक ऐसी क्रियाविधि अपनानी चाहिए जिससे उधारकर्ता का चुनाव, सरकार / सहकारी सोसायटियों / बैंकों की देय राशि, आवेदक की जमीन का स्वत्वाधिकारी संबंधी प्रमाण आदि एक साथ प्राप्त किया जा सकेंध ।

(iv) जहां ऋण शिबिर आयोजित किए जा रहे हों वहाँ जिला अधिकारियों के परामर्श से ऐसे शिबिरों के आयोजन की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए जिसमें खड विकास अधिकारी और राजस्व अधिकारी, सहकारी निरीक्षक, पंचायत प्रधान आदि वहीं के वहीं आवेदनों को अंतिम रूप देने पर विचार करने में मदद कर सकें ।राज्य सरकार क लेक्टर के साथ निम्नलिखित अधिकारियों या उनके प्रतिनिधियों के लिए उन संबंधित कार्यों के निर्वाह के लिए एक्जीक्यूटिव आदेश जारी करेगी जो ऐसे ऋण शिबिर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अंतर्गत निर्धारित हैं ।

- खंड विकास अधिकारी
- सहकारी निरीक्षक
- राजस्व अधिकारी / ग्राम राजस्व सहायक
- क्षेत्र में परिचालन बैंक के अधिकारी
- पैक्स, लैंप्स / एफएसएस
- ग्राम पंचायत प्रधान

विलंब से बचने के लिए, जिस फार्म में सरकारी अधिकारी को ऋण शिविरों में प्रमाण पत्र देना होता है, जिला मेजिस्टेट को उसकी पर्याप्त प्रतियां छपावा लेनी चाहिए ।

. (v)आगामी फसली मौसम के लिए ऋण आवेदन पर विचार करते समय आवेदक की राज्य सरकार को देय राशि को नजर अंदाज कर देना चाहिए बशर्ते राज्य सरकार प्राकृतिक आपदा होने की तारीख को सरकारी को देय सभी राशियों पर लंबी अवधि के लिए स्थगनादेश घोषित कर देती हो ।

11. **उपभोक्ता ऋण**

विद्यमान अनुदेशों के अनुसार सामान्य उपभोक्ता प्रयोजनों के लिए वर्तमान उधारकर्ताओं को रु 250/- तक ऋण मंजूर कर सकते है तथा जिन राज्यों में राज्य सरकार ने ऐसे ऋणों के लिए जोखिम निधि गठित की हुई है

ऋण की सीमा रु 1000/- तक बढाई जा सकती है। वर्तमान सीमा को बिना किसी जमानत के 5000/- रूपये तक बढ़ाया जा सकता है तथा जोखिम निधि गठित न करने की स्थिति मे भी इस प्रकार के ऋण उपलब्ध कराएं जाए।

12 **नए ऋण**

उत्पादक गतिविधियाँ आरंभ करने के लिए समय पर नई वित्तीय सहायता न केवल वर्तमान उधारकर्ताओं को, बल्कि अन्य पात्र उधारकर्ताओं को भी उपलब्ध कराई जाए । वर्तमान खातों की स्थिति के बावजूद उधारकर्ताओं को दिए गए नए ऋण चालू देय माने जाएंगे ।

13. **वर्तमान ऋणों का पुनर्निर्धारण**

चूंकि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की चुकौती क्षमता आर्थिक व्यवसाय की क्षति और आर्थिक आस्तियों की हानि के कारण बुरी तरह प्रभावित हो जाती है, अतः प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में यह आवश्यक हो जाता है कि ऋणों की चुकौती में राहत दी जाए । अतः वर्तमान ऋणों का पुनर्निर्धारण आवश्यक होगा । फसल ऋणों में बकाया मूलधन राशि तथा कृषि मीयादी ऋणों के साथ-साथ उस पर अर्जित ब्याज को मीयादी ऋणों में परिवर्तित कर दिया जाए ।

मीयादी ऋणों की पुनर्निर्धारित चुकौती अवधि आपदा की गंभीरता और उसकी पुनरावृत्ति, आर्थिक आस्तियों की हानि की सीमा और विपत्ति के आधार पर अलग-अलग हो सकती है ।

सामान्यतया, चुकौती के लिए पुनर्निर्धारित अवधि 3 से 5 वर्ष हो सकती है । तथापि, जहाँ आपदा से हुई क्षति बहुत अधिक है, बैंक अपने विवेक के आधार पर चुकौती की अवधि 7 वर्ष तथा अत्यधिक मुसीबत में चुकौती अवधि अधिकतम 10 वर्ष तक कर सकते हैं । पुनर्निर्धारण के सभी मामलों में अधिस्थगन अवधि कम से कम एक वर्ष होनी चाहिए । साथ ही, बैंकों को ऐसे पुनर्निर्धारित ऋणों पर अतिरिक्त संपार्श्विक की मांग नहीं करनी चाहिए । पुनर्निर्धारित मीयादी ऋण और अन्य देय राशियों की आस्ति वर्गीकरण स्थिति निम्नानुसार होगी :

ए) पुनर्निर्धारित फसल ऋण चालू देय के रुप में माने जाएँ तथा उन्हें अनर्जक आस्तियों के रुप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है । पुनर्निर्धारित मीयादी ऋणों का आस्ति वर्गीकरण इसके बाद संशोधित शर्तों से शासित होगा तथा अल्पावधि फसलों के लिए दो फसल मौसम तथा लम्बी अवधि की फसलों के लिए एक फसल मौसम के लिए मूलधन का ब्याज तथा / अथवा किस्त अतिदेय रहने पर उन्हें अनर्जक आस्ति माना जाएगा । कृषकों द्वारा उगाई गई फसलों की अवधि के आधार पर उपर्युक्त मानदण्ड पुनर्निर्धारित कृषि मीयादी ऋणों पर लागू होंगे ।

बी) उपर्युक्त मानदण्ड आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, और प्रावधानीकरण से संबंधित अग्रिमों पर 8 अगस्त 2006 के मास्टर परिपत्र भारिबैं. सं. 2006-07/102, यूबीडी.पीसीबी.एमसी.सं. 9 / 09.14.000/2006-07 के अनुबंध I में सूचीबध्द किए गए सभी प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों पर लागू होंगे ।

सी) अतिरिक्त वित्त, यदि कोई हो तो "मानक आस्तियों" के रुप में माना जाएगा और भविष्य में उनका आस्ति वर्गीकरण उसकी स्वीकृति की शर्तों और स्थिति से शासित होगा ।

डी) यदि ऋणों को पुनर्व्यवस्थित करने का कार्य प्राकृतिक आपदा की तारीख से तीन महीने के भीतर पूरा कर लिया जाता है तो प्राकृतकि आपदा की तारीख की स्थिति के अनुसार आस्ति वर्गीकरण जारी रहेगा। अन्यथा पुनर्व्यवस्थित उधार खाते 09 मार्च 2006 के परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.सं.30/ 09. 09. 001/05-06 के उपबंधों से नियंत्रित होंगे। ये ग़ैर-लघु एवं मध्यम उद्यम अग्रिमों पर भी लागू होंगे। इसके अतिरिक्त अवमानक खातों पर लागू दिशानिर्देश संदिग्ध खातों पर आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगे।

ई) खुदरा अथवा उपभोग ऋणों के खण्ड में बैंक ऋणों का पुनर्निर्धारण प्रत्येक मामले के आधार पर इस प्रकार किया जाए कि वह उधारकर्ताओं के लिए उपयुक्त हो ।

14.**वित्त की मात्रा**

किसी जिले में विभिन्न फसलों के लिए वित्तपोषण की मात्रा एक समान होगी। वित्त की मात्रा विभिन्न उधारदात्री संस्थाओं द्वारा मौजूदा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में अपनाए गए मानदंडों के आधार पर तय की जाएगी। मात्रा तय करते समय उधारकर्ता की न्यूनतम उपभोक्ता जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। संबंधित जिला मेजिस्ट्रेट और जिले में कार्यरत बैंक की शाखाओं को तय की गई मात्रा का पालन करने के लिए सूचित किया जाएगा ।

15. **विकास ऋण - निवेश लागत**

(i) मौजूदा मीयादी ऋण की किस्तों को उधारकर्ता की चुकौती क्षमता और प्राकृतिक आपदा को ध्यान में रख कर पुनर्निधारित / आस्थगत करना होगा ।

(ए) सूखा, बाढ़ और चक्रवात आदि जहां के वल उस वर्ष की फसल को नुकसान हुआ हो और उत्पादक आस्तियों को नुकसान न हुआ हो ।

(बी) बाढ़ और चक्रवात जहां उत्पादक आस्तियां आंशिक रूप से या पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई हैं और उधारकर्ता को नए ऋण आवश्यकता है ।

(ii) श्रेणी (ए) के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा के संबंध में बैंक प्राकृतिक आपदा के वर्ष के दौरान किस्त के भुगतान को आस्थगित कर सकते हैं और ऋण की अवधि को (निम्नलिखित अपवादों के अधीन) बढ़ा सकते हैं ।

(ए) वे किसान जिन्होंने विकासकार्य/निवेश, जिसके लिए ऋण लिया था, नहीं किया है या ऋण से खरीदे गए उपकारणों/ मशीनों को बेच दिया है ।

(बी) वे जो आयकरदाता हैं ।

(सी) सूखा पड़ने के मामले में वे किसन जिनके पास, नहरों से पानी की आपूर्ति को छोड़कर सिंचाई के बारह मासी स्रोत उपलब्ध हैं । या अन्य बारहमासी स्रोतों से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

(डी) ट्रैक्टर के मालिक, उन वास्तविक मामलों को छोड़कर जहां आय में घाटा हुआ हो और उसके फलवरूप उनकी चुकौती क्षमता में ह्रास हुआ हो ।

(iii) इस व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व वर्षों में जानबूझकर किस्तों में हुई चूक पूनर्निर्धारण के लिए पात्र नहीं होगी । बैंकों को उधारकर्ताओं द्वारा दिए जानेवाले ब्याज के भुगतान को आस्थगित करना होगा । विस्तार अवधि तय करते समय ब्याज के प्रति प्रतिबध्दता को भी ध्यान में रखना होगा ।

(iv)उपर्युक्त श्रेणी (i)(बी) के संबंध में अर्थात् जहां उधारकर्ताओं की आस्तियां पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो गई हों, वहां ऋण अवधि को बढ़ाकर ऋण चुकौती का पुनर्निर्धारण, अल्पावधि

ऋणों और नए फसल ऋणों की चुकौती को आस्थगित कर देने के कारण पुराने मीयादी ऋणों और संपरिवर्तन ऋण (मध्यावधि ऋण) की चुकौती के प्रति उधारकर्ता की वचनबध्दता सहित उनकी सकल चुकौती क्षमता के आधार पर तय किया जानी चाहिए । ऐसे मामलों में सरकारी एजेंसियों से प्राप्त इमदाद (सबसीडी) बीमा योजनाओं आदि के अंतर्गत उपलब्ध क्षतिपूर्ति को घटाकर कुल ऋण की चुकौती अवधि का निर्धारण उन मामलों को छोड़कर जहां ऋण भूमि को समतल करने, गाद हटाने और भूमि उध्दार के लिए हो, निवेश के प्रकार के साथ - साथ वित्तपोषित आस्ति की आर्थिक (उपयोग) जीवन के आधार पर 15 वर्ष की अधिकतम अवधि के अधीन उधारकर्ता की चुकौती क्षमता को ध्यान में रखाकर किया जाना चाहिए। इस प्रकार कृषि मशीनरी अर्थात् पंप सेट, और टैक्टर के लिए ऋण के मामलों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऋण की कुल अवधि अग्रिम की तारीख से सामान्यत: 9 वर्षों से अधिक न हो ।

16. मौजूदा मीयादी ऋणों के पुनर्निर्धारण के अलावा बैंक प्रभावित किसानों को निम्नलिखित विकासात्मक प्रयोजनों के लिए विविध प्रकार के मीयादी ऋण प्रदान करेंगे जैसे कि :

(i) **लघु सिंचाई**

कुओं, पंपसेटों आदि की मरम्मत के लिए मीयादी ऋण जिनकी मात्रा क्षति की प्रमात्रा और   मरम्मत की अनुमानित लागत के मूल्यांकन के बाद तय की जा सकती है ।

(ii) **बैल**

जहां हल / गाड़ी खीचने वाले पशु खत्म हो गए हैं वहां बैंलों / भैसों की नई जोड़ी खरीदने के लिए नए ऋण देने पर विचार किया जा सकता है । जहां ऋण नए पशु खरीदने के लिए दिया गया है या जहां किसान ने दुधारू पशु खरीदे हैं वहां पशुचाराया खाद्य खरीदने के लिए पर्याप्त ऋण दिया जा सकता है ।

(iii) **दुधारू पशु**

दुधारू पश्जा खरीदने के लिए मीयादी ऋण पर पशु की नस्ल, दूध उत्पाद आदि को ध्यान में रखकर विचार किया जाएगा। ऋण राशि में छाजन की मरम्मत, उपकरणों की खरीद और पशुखाद्य शामिल होंगे ।

(iv) **बीमा**

चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति क्षेत्र की प्रवणता को ध्यान में रखते हुए इसी प्रयोजन के लिए सुरक्षित क्षेत्रों की तरह जोखिम व नश्वरता निधि खड़ी करने के बजाए पशुओं का बीमा करवा लेना चाहिए।दुधारू पशुओं / हल / गाड़ी खीचने वाले पशुओं की पहचान के लिए और लाभार्थियों द्वारा दोबारा बेचे जाने के प्रति सुरक्षा उपाय के रूप में ब्रांडेड किया जाना चाहिए ।

(v) **मुर्गीपालन और सूअर पालन**

मुर्गीपालन, सुअर पालन और बकरी पालन के लिए ऋण पर अलग - अलग बैंकों के मानदंडों के अनुसार विचार किया जाएगा ।

(vi) **मत्स्यपालन**

जिन उधारकर्ताओं की नाव, जाल और अन्य उपकरण नष्ट हो गये है उनके बारे में मौजूदा ऋण की चुकौती को गुण-दोषों के आधार पर पुनर्निधारित किया जाए। उन्हें 3/4 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले नए ऋण मंजूर किए जा सकते हैं। मौजूदा उधारकर्ता की नाव की मरम्मत के लिए भी ऋण देने पर विचार किया जा सकता है। जिन मामलों में सबसीडी उपलब्ध है वहां ऋण की मात्रा उस हद तक कम कर देनी चाहिए। उन राज्यों में जहां नाव जाल आदि की लागत के प्रति पर्याप्त मात्रा में सबसीडी मिलने की संभावना हो वहां राज्य के संबंधित विभागे साथ यथोचित समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अग्रिम प्रदान करने से संबंधित सभी मानदंडों और शर्तों का पालन करने के अलावा, मत्स्यपालन विभाग से भी संपर्क किया जाना चाहिए जिससे यह अपेक्षित है कि वह इस प्रयोजन के लिए वित्तपोषण प्रदान करने में बैंक की सहायकता करेगा। जहां तक संभव हो, प्राकृतिक आपदाओं सहित सभी जोखिमों के प्रति नाव का कम्प्रीहेंसीव बीमा किया जाना चाहिए ।

17. **भूमि उध्दार**

(i) यह संभव है कि बालू आच्छादित जमीन के सुधार के लिए वित्तीय सहायता आवश्यक होगी। सामान्यतया, 3 इंच तक जमा बालू/ गाद को जुताई द्वारा मिट्टी में ही मिला दिया जाता है या किसान द्वारा वित्तीय सहायता के बिना हटा दिया जाता है । जहां तत्काल बुआई संभव है और भूमि उध्दार (बालू को हटाना) आवश्यक है वहां ऋण आवेदनों पर विचार किया जाना चाहिए । जहां लवणयुक्त भूमि के उध्दार की आवश्यकता हो वहां भूमि उध्दार की लागत जो फसल ऋण के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए, फसल ऋण के साथ दी जा सकती है ।

(ii)रेशम, उत्पादन, बागबानी, फुलोद्यान, पान आदि जैसी गतिविधियों के लिए बैंक अपनी मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत निवेश और कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करेंगे और उनके द्वारा निर्धारित सामान्य क्रियाविधि अपनाएंगे / कार्यशील पूंजी वित्त उस अवधि तक के लिए प्रदान किया जाएगा जब तक कि बागान से हाने वाली आय ऐसे खर्चों के लिए पर्याप्त नहीं हो जाती ।

(iii)तथापि, यदि आवश्यक हो तो व्यक्तिगत निर्धारण पर खड़ी फसल/फलोद्यान के पुनर्जीवन / नवीकरण के लिए जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त फसल ऋण दिया जा सकता है ।

(iv)पर्याप्त मात्रा में बीजों और विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के अभिग्रहण और उचित आपूर्ति की व्यवस्था के प्रश्न पर राज्य सरकार और प्रत्येक जिले में जिला प्रशासन के साथ चर्चा की जानी चाहिए। उसी प्रकार पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए सरकार के स्वामित्ववाले छिछले और गहरे नलाकूपों और नदी उत्थापक (लिफ्ट) सिंचाई प्रणाली की मरम्मत सरकार द्वारा की जाएगी । मछलीपालन के लिए राज्य सरकार का मछलीपालन विभाग फिंगरलिंग्स प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन व्यक्तियों को आपूर्ति करेगा जो बैंक वित्त की सहायता से तालाब में मछली पालन को पुनर्जीवित करना चाहता हैं।

(v)राज्य सरकार को ऐसी योजनाएं बनाने पर विचार करना होगा जिनसे वाणिज्यिक बैंकों को इस प्रयोजन के लिए दी गई राशि के लिए नाबार्ड की दर से पुनर्वित्त प्राप्त हो सके ।

18. **कारीगर और स्व-नियोजित व्यक्ति**

(i) हथकरधा बुनकरों सहित सभी श्रेणी के ग्रामीण कारीगरों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए ऋण की आवश्यकता शेडों की मरम्मत, उपकरणों को बदलने, कच्चा माल खरीदने और भंडारण के लिए होगी । ऋण मंजूर करते समय संबंधित राज्य सरकार से उपलब्ध सबसीडी/ सहायता के प्रति यथोचित ध्यान दिया जाएगा ।

(ii) कई कारीगर, व्यापारी, और स्वनियोजित व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके पास किसी भी बैंक के साथ कोई बैंकिंग व्यवस्था या सुविधा नहीं होगी लेकिन उन्हें अब पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। ऐसी श्रेणी के व्यक्ति उन बैंक शाखाओं से वित्तीय सहायता पाने के पात्र होंगे जिनके कमांड एरिया में वे रहते हैं या अपना व्यवसाय/कारोबार चला रहे हैं। जहां कोई व्यक्ति / पार्टी एक से अधिक बैंकों के कमांड एरिया में आता हो वहां संबंधित बैंक मिलकर उसकी समस्या का समाधान करेंगे।

19. **लघु और अतिलघु उद्योग**

(i) ग्राम और कुटीर उद्योग क्षेत्र, के अंतर्गत किसी इकाई, लघु औद्योगिक इकाई के पुनर्वास और क्षतिग्रस्त हुई मझौले औद्योगिक क्षेत्र की इकाई की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। फैक्टरी भवनों / शेडों और मशीनरी की मरम्मत / नवीकरण करने, और क्षतिग्रस्त पुर्जों को बदलने, कच्चा माल खरीदने के लिए कार्यशील पूंजी और भंडारण के लिए तुरंत मीयादी ऋण देना होगा ।

(ii) जहां कच्चा माल या तैयार माल बह गया है या नष्ट हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया हो वहां बैंक को दी गई जमानत का भी स्वाभाविक रूप से क्षय हुआ होगा और कार्यशील पूंजी खाता (नकदी ऋण या ऋण) अनियमित हो जाएगा । ऐसे मामलों में बैंक जमानत के मूल्य से अधिक आहरण की राशि को मीयादी ऋण में सपरिवर्तित करेंगे और उधारकर्ताओं को आगे और कार्यशील पूंजी प्रदान करेंगे ।

(iii) सही गई क्षति और पुनर्वास के लिए जरूरी समय और उत्पादन पुन: शुरू होने और उसकी बिक्री के आधार पर एवं इकाई की आय उत्पन्न करेन की क्षमता को ध्यान में रखते हुए मीयादी ऋण की किस्तों का यथोचित रूप से पुनर्निधारित करना होगा। मार्जिन में कमी को माफ करना होगा, यहां तक कि छोड़ देना होगा और उधारकर्ता को अपने भावी नकदी उत्पत्ती से धीरे-धीरे मार्जिन राशि जुटाने की अनुमति देनी होगी । जहां राज्य सरकार या किसी एजेंसी ने ग्रांट/सबसीडी/सीडमनी देने के लिए कोई विशेष योजना बनाई होतो ऐसी ग्रांट / सबसीडी/सीडमनी की मात्रा तक यथोचित मार्जिन निर्धारित की जानी चाहिए ।

(iv) छोटी /अतिलघु इकाइयों को उनके पुनर्वास के लिए ऋण देने में बैंकों की प्राथमिक सोच पुनर्वास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बाद इकाई का अर्थक्षम होना है ।

20. **शर्तें और निबंधन**

राहत ऋणों को संचालितरने वाली शर्तें और निबंधन जमानत और मार्जिन के बारे में लचीली होनी चाहिए। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की गारंटी से संरक्षित छोटे ऋणों के मामलों में वैयक्तिक गारंटी के लिए आग्रह नहीं किया जाना चाहिए । किसी भी हालत में वैयक्तिक गारंटी के अभाव में ऋण नकारा नहीं जाना चाहिए ।

21. **जमानत**

जहां बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण बैंक की मौजूदा जमानत का क्षय हुआ है, वहां मात्र अतिरिक्त नई जमानत के अभाव में वित्तीय सहायता नकारी नहीं जानी चाहिए । जमानत का मूल्य (मौजूदा के साथ-साथ नए ऋण से प्राप्त की जानेवाली आस्ति) भले ही ऋण राशि से कम हो, फिर भी नए ऋण दिए जाने चाहिए ।

(ए) जहां पहले फसल ऋण (जिसे मीयादी ऋण के रूप में संपरिवर्तित किया गया है) वैयक्तिक जमानत / फसल के बंधक रखने, पर जो 5000/- रूपये तक फसल ऋण का मामला होगा, दिया गया था और उधारकर्ता संपरिवर्तित ऋण के लिए भूमि को जमानत के रूप में प्रभारित / बंधक रखने की स्थिति में नहीं है, वहां केवल इस आधार पर कि वह भूमि को जमानत के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता है, उसे संपरिवर्तन की सुविधा नकारी नहीं जानी चाहिए ।

(बी) यदि उधारकर्ता ने पहले ही भूमि को बंधक / प्रभारित रख कर मीयादी ऋण ले लिया हो तो बैंक को संपरिवर्तित मीयादी ऋण के लिए दूसरे प्रभार पर सहमत हो जाना चाहिए ।

(सी) संपरिवर्तन सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक को तीसरी पार्टी की गारंटियों के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए ।

(डी) उपकरण को बदलने, मरम्मत करने आदि के लिए मीयादी ऋणों और कारीगरों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए कार्यशील पूंजी वित्त या फसल ऋणों के मामले में हमेशा की तरह जमानत प्राप्त की जाए। मूल स्वत्वाधिकार अभिलेखों के अभाव में जहां भूमि को जमानत के रूप में स्वीकार किया गया हो वहां उन किसानों को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए जिन्होंने अपने स्वत्वाधिकार के प्रमाण खो दिए हैं, राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा विलेखों के रूप में जारी प्रमाणपत्र के साथ-साथ पंजीकृत बटाइदारों को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने चाहिए।

(ई) ग्राहक सेवा पर भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट की सिफरिशों के अनुसार बैंक उधारकर्ताओं को किसी भी आर्थिक कार्यकलाप के लिए संपार्श्विक जमानता या गारंटी का आग्रह किए बिना 500/- रूपये तक का वित्तपोषण प्रदान करेंगे।

22. **मार्जिन**

मार्जिक की आवश्यकता को माफ कर दिया जाए या संबंधित राज्य सरकार द्वारा दी गई ग्रांट / सबसीडी को मार्जिन समझ लिया जाए।

23. **ब्याज**

ब्याज की दरें भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार होंगी। तथापि, अपने विवेकाधिकार क्षेत्र के अतर्गत, बैंकों से अपेक्षित है कि वे उधारकर्ताओं की परेशानियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाए और प्रभावित लोगों को रियायत दें।

(i) विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा करनेवाले व्यक्तियों को योजना के उपबंधों के अनुसार ऋण दिया जाना चाहिए।

(ii) वर्तमान देय राशियों के चूक के मामले में, कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगाया जाएगा। बैंकों को चक्रवृध्दि ब्याज लगाना भी समुचित रूप से आस्थिगत कर देना चाहिए।

24**. अन्य मामले**

(i) **कारोबार निरन्तरता योजना (बीसीपी)**

बैंकिंग प्रणाली में तकनीक के बढ़ते हुए परिदृश्य में कारोबार निरन्तरता योजना (बीपीसी) कारोबार में रुकावट और प्रणाली असफलता को कम करने के लिए पहली प्रमुख पूर्वापेक्षा है। कारोबार निरन्तरता योजना प्रणाली के रूप में, बैंक प्राकृतिक आपदा के घेरे में आने वाली संभावित शाखाओं के लिए विकल्प के रूप में अन्य शाखाओं की पहचान करें। इसलिए बैंकों को केवल आपदा वसूली व्यवस्था के साथ-साथ पूर्णरूपेण एक विस्तृत कारोबार निरन्तरता योजना (बीसीपी) तैयार करनी चाहिए। बैंकों को अपनी डीआर साइट को

अद्यतन बनाए रखने पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि वे उनकी विस्तृत जाँच कर सकें और प्राथमिक और द्वितीयक साइटों के बीच आँकड़ों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित रख सकें।

(ii) **ग्राहकों को उनके बैंक खाते तक पहुँचाना**

(ए) ऐसे क्षेत्र जहां बैंक शाखाएँ प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं तथा सामान्य रुप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं वहां बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित करते हुए अस्थायी परिसर से परिचालन कर सकते हैं। अस्थायी परिसर में 30 दिन से अधिक समय बने रहने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से विशेष अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को सूचना देते हुए अनुषंगी कार्यालय, विस्तार काउंटर गठित करके या मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती है।

(बी) ग्राहकों की तत्काल नकदी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु बैंक सावधि जमा जैसे खातों को सुलभ बनाने संबंधी दंड में छूट देने पर विचार कर सकता है।

(सी) एटीएम के कार्य को फिर से शीघ्र चालू करने या ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु अन्य व्यवस्था को उचित महत्व दिया जाए। बैंक ऐसी व्यवस्था पर विचार कर सकते हैं जिससे ग्राहक अन्य एटीएम नेटवर्क, मोबाइल एटीएम आदि तक पहुँच सकें।

(iii) **मुद्रा प्रबंधन**

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बैंक/शाखा, यदि आवश्यक हो तो अन्य बैंकों से जिनमें उनके खाते हों अथवा मुद्रा तिजोरी शाखा से संपर्क कर सकता है जिसके साथ वह सहलग्न है ताकि उसके ग्राहकों को नकदी की आपूर्ति की जा सके।

(iv) **केवाइसी मानदंड**

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को नए खाते खुलवाने हेतु विशेषतः सरकार / अन्य एजेंसियों द्वारा दिये जानेवाले विभिन्न राहतों का उपभोग करने हेतु बैंक निम्नलिखित आधार पर खाता खोल सकते हैं -

ए) अन्य खाता धारक जो संपूर्ण केवाइसी प्रक्रिया से गुज़रा हो, से परिचय या

बी) पहचान के दस्तावेज़ जैसे वोटर पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस, किसी कार्यालय, कंपनी, विद्यालय, महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र के साथ पता दर्शाता हुआ दस्तावेज़ जैसे बिजली का बिल, राशन कार्ड आदि, या

सी) दो पड़ोसियों का परिचय जिनके पास उपर्युक्त पैरा 5 (ख) में दर्शाये दस्तावेज हों, या

डी) उपर्युक्त न होने पर अन्य कोई सबूत जिससे बैंक संतुष्ट हो ।

उपर्युक्त अनुदेश उन मामलों पर लागू होंगे जहां खाते में शेष 50,000/- रु. से अधिक न हो या प्रदान की गई राहत की राशि (यदि अधिक हो) और खाते में कुल जमा 1,00,000/- रु. या एक वर्ष में प्रदान राहत की राशि (यदि अधिक हो) से अधिक न हो ।

(v) **समाशोधन एवं निपटान प्रणाली**

समाशोधन सेवा में निरन्तरता सुनिश्चित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को 20 बड़े शहरों में "ऑन-सिटी बैक-अप केन्द्र" तथा शेष शहरों के लिए प्रभावी अल्प लागत निपटान समाधान के संबंध में सूचित किया । समाशोधन क्षेत्र में जहां सामान्य समाशोधन सेवाओं में बाधाएं आती हों वहां बैंक लचीली समाशोधन सेवाएं उपलब्ध करा सकता है । तथापि, इन व्यवस्थाओं के बावजूद बैंक ग्राहकों की निधि अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए बड़ी राशि के लिए चेक भुनाने हेतु विचार कर सकता है । बैंक इएफटी, इसीएस या डाक सेवाओं के शुल्क में छूट देने पर विचार कर सकता है ताकि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के खातों में निधि अंतरण हो सके।

25. व्यापार और उद्योग के मामले में दिशा-निर्देशों की प्रयोज्यता

पुनर्व्यवस्थित ऋणों के लिए अधिस्थगन, अधिकतम चुकौती अवधि, अतिरिक्त संपार्श्विक संबंधी अनुदेश तथा नए वित्त के संबंध में आस्ति वर्गीकरण संबंधी मानदंड सभी प्रभावित एवं पुनर्व्यवस्थित उधार खातों पर लागू होंगे जिनमें कृषि के अलावा उद्योग एवं व्यापार के खाते शामिल हैं।

26. दंगों और उपद्रवों के मामले में दिशा-निर्देशों की प्रयोज्यता

भारतीय रिज़र्व बैंक जब कभी भी बैंकों को दंगों / उपद्रवों से प्रभावित लोगों को पुनर्वास सहायता देने के लिए सूचित करता हैं तो बैंक को स्थूल रूप से उक्त दिशा-निर्देशों को पालन करना चाहिए । तथापि, यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य सरकार की एजेंसी दंगों आदि से प्रभावित के रूप में विधिवत पता लगाए गए व्यक्तियों को ही पुनर्वास सहायता प्रदान की जाती है ।

(i) प्रभावित लोगों को तुरंत राहत सुनिश्चित करने के लिए, दंगा / उपद्रव होने पर जिला कलेक्टर अग्रणी बैंक अधिकारी को, यदि आवश्यक हो तो, डीसीसी की बैठक बुलाने और दंगों / उपद्रव के क्षेत्र में जान-माल की हानि की मात्रा पर डीसीसी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है । डीसीसी यदि इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि जान और माल की काफी हानि हुई हैं, तो दंगों / उपद्रवों से प्रभावित

लोगों को ऊपर बताए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार राहत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी । कुछ केंद्रों पर जहां डीएससी नहीं हैं, जिला कलेक्टर राज्य की एसएलबीसी के आयोजकों से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने पर विचार करने के लिए बैंठक का आयोजन करने के लिए कह सकता है । कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और उस पर डीसीसी/एसएलबीपी के निर्णय को दर्ज किया जाना चाहिए और उसे बैठक के कार्यविवरण में शामिल किया जाना चाहिए। बैठक के कार्य विवरण की एक प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के भेजी जानी चाहिए ।

(ii) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिला प्रशासन द्वारा दंगों / उपद्रव से प्रभावित के रूप में पता लगाए गए वास्तविक व्यक्तियों को हो सहायता दी जाती है ।

अनुबंध 3

उधार खातों जिन्हें संदिग्ध, हानि के रूप में वर्गीकृत किया गया है या कुल 100 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक के बकाया (अल्प निधिकृत तथा गैर - निधिकृत दोनों) के संबंध में दायर किए गए मुकदमों का ब्यौरा

(संदर्भ पैरा 5.3.1)

बैंक का नाम :

(i) कंपनी / फ़र्म का नाम

(ii) कंपनी / फ़र्म का पंजीकृत पता

(iii) चूककर्ता कंपनी / फ़र्म के निदेशकों / भागीदारों के नाम

(iv) शाखा का नाम

(v) सुविधाओं का प्रकार तथा प्रत्येक सुविधा के लिए मंजूर सीमाएं

(vi) बकाया राशि

(vii) प्रत्येक श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का स्वरूप तथा मूल्य

(viii) चूककर्ता खाते का आस्ति वर्गीकरण

(ix) संदिग्ध / हानि के रूप में वर्गीकृत खाते / दायर मुकदमों की तारीख

जान-बूझकर की गई चूक संबंधी आंकड़ें की सूचना के लिए प्रारूप

(संदर्भ पैरा 5.4.1)

(क) आगम मीडिया : 3.5" फ्लापी डिस्क फाइल

(ख) फाइल की विशेषताएं : एएससीआईआई या डीबीएफ फाइल

विभिन्न मदों का फाइलवार वर्णन नीचे दिया गया है :

1. क्रम संख्या : 9 (4) प्रत्येक रेकार्ड को दी जानेवाली अद्वितीय संख्या

2. बैंक की शाखा का नाम : x (45) जैसा कि मूल सांख्यिकीय विवरणी के मामले में

3. पक्षकार का नाम : 4 (45) वैधानिक नाम

4. पंजीकृत पता : x (96) पंजीकृत कार्यालय का पता

5. बकाया राशि : 9(6) कुल बकाया राशि लाख रू. में

6. निदेशकों का नाम : x (336) प्रत्येक 24 बाइट्स के 14 उपक्षेत्रों में विभाज्य

7. स्थिति : दायर किया गया मुक़दमा या गैर - दायर किया गया मुक़दमा

अनुबंध - 4

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

(पैरा 6 देखें)

1. सामान्य सिद्धांत

पुनर्रचना का मूलभूत उद्देश्य इकाइयों के आर्थिक मूल्य को सुरक्षित रखना है न कि समस्याग्रस्त खातों को सतत आधार पर ऋण देते रहना। इस उद्देश्य को बैंकों एवँ उधारकर्ताओं द्वारा खातों अर्थक्षमता के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन, उनकी कमजोरियों का यथाशीघ्र पता लगाकर तथा पुनर्रचना पैकेजों के समयबद्ध कार्यान्वयन द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुनर्रचित खातों को छोड़कर ऋण पुनर्रचना की सभी श्रेणियों पर निम्नलिखित विवेकपूर्ण मानदंड लागू होंगे। सीडीआर प्रणाली सहित सभी पुनर्रचना पर लागू विवेकपूर्ण मानदंड पैरा 3 में दिये गये हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुनर्रचित खातों पर मौजूदा दिशानिर्देश पूर्ववत लागू रहेंगे। निर्धारित किए गए सामान्य सिद्धांत तथा विवेकपूर्ण मानदंड सभी प्रकार के अग्रिमों सहित ऐसे उधारकर्ताओं पर भी लागू होंगे जो पैरा 7 के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार आास्ति-वर्गीकरण के लिए विशेष विनियामक व्यवस्था के पात्र हैं। इन दिशानिर्देशों में प्रयुक्त मुख्य अवधारणाएँ <u>अनुबंध अ</u> में दी गई हैं।

2. अग्रिमों की पुनर्रचना के लिए पात्रता मानदंड

2.1 बैंक `मानक', `अवमानक' और `संदिग्ध' श्रेणियों में वर्गीकृत खातों की पुनर्रचना कर सकते हैं ।

2.2 बैंक पूर्व व्यापी प्रभाव से उधार खातों की अवधि का पुनर्निर्धारण/ऋण की पुनर्रचना/ऋण की शर्तों में परिवर्तन नहीं कर सकते । जब कोई पुनर्रचना प्रस्ताव विचाराधीन हो तब सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू रहेंगे । केवल इसलिए कि पुनर्रचना प्रस्ताव विचाराधीन है, किसी आस्ति की पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया नहीं रुकनी चाहिए । सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्रचना पैकेज के अनुमोदन की तारीख को आस्ति वर्गीकरण की जो स्थिति है वह पुनर्रचना/अवधि के पुनर्निर्धारण/ऋण की शर्तों में परिवर्तन के बाद खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति निश्चित करने में प्रासंगिक होगी । यदि पुनर्रचना पैकेज की मंजूरी में अनुचित विलंब होता है तथा इस बीच खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति में गिरावट आती है तो यह पर्यवेक्षीय चिंता का विषय होगा ।

2.3 सामान्यतया पुनर्रचना तब तक नहीं हो सकती, जब तक कि ऋणकर्ता की औपचारिक सहमति/आवेदन द्वारा मूल ऋण करार में बदलाव/परिवर्तन न किया गया हो । तथापि उपयुक्त मामलों में बेंक भी पुनर्रचना प्रक्रिया आरंभ कर सकता है, बशर्ते ग्राहक निबंधन और शर्तों से सहमत हो ।

2.4 बैंक तब तक किसी खाते की पुनर्रचना नहीं करेंगे जब तक पुनर्रचना की वित्तीय व्यवहार्यता स्थापित न हो जाए तथा पुनर्रचित पैकेज की शर्तों के अनुसार उधारकर्ता से चुकौती प्राप्त करने की अच्छी संभावना न हो । बैंकों द्वारा व्यवहार्यता का निर्धारण उनके द्वारा निर्धारित स्वीकार्य व्यवहार्यता बेंचमार्क के आधार पर होना चाहिए तथा इसे हर मामले के गुण-दोष को विचार में लेते हुए मामला-दर-मामला आधार पर लागू किया जाना चाहिए । उदाहरण के लिए मापदंडों के भीतर विनियोजित पूंजी पर प्रतिफल, ऋण सेवा व्याप्ति अनुपात, प्रतिफल की आंतरिक दर और निधियों की लागत के बीच अंतराल तथा पुनर्रचित अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले अपेक्षित प्रावधान की राशि को शामिल किया जा सकता है । जिन खातों को व्यवहार्य नहीं माना जा रहा है, उनकी पुनर्रचना नहीं की जानी चाहिए तथा ऐसे खातों के संबंध में वसूली उपायों में तेजी लायी जानी चाहिए । उधारकर्ता के नकदी प्रवाह पर ध्यान दिये बिना तथा बैंकों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं/गतिविधियों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किये बिना यदि कोई पुनर्रचना की जाती है तो उसे एक कमजोर ऋण सुविधा को हमेशा के लिए कमजोर बनाने का प्रयास माना जाएगा तथा इससे पर्यवेक्षीय चिंता उत्पन्न होगी/पर्यवेक्षीय कार्रवाई की जा सकती है ।

2.5 यद्यपि जिन उधारकर्ताओं ने कपट या दुराचार किया है वे पुनर्रचना के लिए पात्र नहीं होंगे ।

2.6 बीआइएफआर मामलों की पुनर्रचना बिना उनके स्पष्ट अनुमोदन के नहीं की जा सकती । एसएमई ऋण पुनर्रचना प्रणाली के मामले में तथा अन्य मामलों में यह सुनिश्चित करने के बाद कि पैकेज के कार्यान्वयन के पहले बीआइएफआर से अनुमोदन प्राप्त करने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गयी हैं, बैंक ऐसे मामलों में पुनर्रचना के प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं ।

3 **आस्ति वर्गीकरण मानदंड**

3.1 अग्रिमों की पुनर्रचना निम्नलिखित चरणों में हो सकती है:

(ए) वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन आरंभ होने के पहले;

(बी) वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन के आरंभ होने के बाद लेकिन आस्ति के `अवमानक' वर्गीकरण के पहले;

(सी) वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन के आरंभ होने के बाद और आस्ति के `अवमानक' या `संदिग्ध' वर्गीकरण के बाद

3.2 पुनर्रचना के बाद `मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत खातों को तुरंत `अवमानक आस्तियों' के रूप में पुनः वर्गीकृत करना चाहिए ।

3.3 पुनर्रचना के बाद अनर्जक आस्तियां पुनर्रचना के पूर्व चुकौती अनुसूची के संदर्भ में विद्यमान आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार और भी घटकर न्यूनतर आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में चलीजाएगी ।

3.4 ऐसे सभी खाते जिन्हें पुनर्रचना के बाद अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, `विनिर्दिष्ट अवधि' के दौरान उनके `संतोषजनक कार्य निष्पादन' देखने के बाद `मानक' संवर्ग में वर्गोन्नत किये जाने के पात्र होंगे । (अनुबंध अ)

3.5 लेकिन जिन मामलों में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद संतोषजनक कार्य निष्पादन नहीं देखा गया है, उन मामलों में पुनर्रचित खाते का आस्ति वर्गीकरण **पुनर्रचना के पूर्व की चुकौती** अनुसूची से संबंधित प्रयोज्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होगा ।

3.6 किसी अतिरिक्त वित्तपोषण को, अनुमोदित पुनर्रचना पैकेज के अंतर्गत पहला ब्याज/मूल ऋण राशि की चुकौती, इनमें जो भी पहले हो, देय होने के बाद एक वर्ष की अवधि तक `मानक आस्ति' माना जाएगा । परंतु ऐसे खातों के मामले में जिन्हें पुनर्रचना के पहले `अवमानक' और `संदिग्ध' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, अतिरिक्त वित्तपोषण की ब्याज आय नकदी आधार पर ही मान्य होनी चाहिए । उपर्युक्त विनिर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि के अंत में यदि पुनर्रचित आस्ति श्रेणी उन्नयन के लिए पात्र नहीं होती है तो अतिरिक्त वित्तपोषण को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें पुनर्रचित ऋण है ।

3.7 पैरा 7 के अंतर्गत विशेष विनियमन प्रावधान का लाभ उठाने वाले ऋण खाते पुनर्रचना के बाद पुनर्रचना के पहले का आस्ति वर्गीकरण स्तर पर ही रखे जाएंगे । निर्धारित समय सीमा में खाते में संतोष जनक सुधार नहीं होने की स्थिति में पुनर्रचना के बाद अनर्जक आस्तियां **पुनर्रचना के पूर्व चुकौती अनुसूची** के संदर्भ में विद्यमान आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार और भी घटकर न्यूनतर आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में चलीजाएगी।

3.8 यदि कोई पुनर्रचित आस्ति पुनर्रचना के बाद मानक आस्ति है तथा बाद में उसकी पुनः पुनर्रचना की जाती है तो उसे अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए । यदि पुनर्रचित आस्ति अवमानक या संदिग्ध आस्ति है तथा बाद में उसकी पुनः पुनर्रचना की जाती है तो उसके आस्ति वर्गीकरण की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस दिन वह पहली बार अनर्जक आस्ति बनी । परंतु दूसरी बार या दो से अधिक बार पुनर्रचित ऐसे अग्रिमों को, संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन चालू पुनर्रचना पैकेज की शर्तों के अनुसार ब्याज की पहली चुकौती या मूलधन की चुकौती, जो भी पहले देय हो, उस तारीख से एक वर्ष बाद मानक संवर्ग में वर्गोन्नत किया जा सकता है ।

4 **आय निर्धारण मानदंड**

पैरा 3.6 और 6.2 के प्रावधानों के अधीन, `मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों की ब्याज आय को उपचय आधार पर तथा `अनर्जक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत खातों के मामले में नकदी आधार पर आय निर्धारण करना चाहिए ।

5 प्रावधानीकरण मानदंड

5.1 सामान्य प्रावधान

बैंक विद्यमान प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार पुनर्रचित अग्रिमों के लिए प्रावधान रखेंगे ।

5.2 पुनर्रचित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान

"अग्रिम के उचित मूल्य में कमी की गणना पुनर्संरचना के पूर्व तथा बाद में ऋण के उचित मूल्य के बीच के अंतर के रूप में की जानी चाहिए । पुनर्संरचना के पूर्व ऋण के उचित मूल्य की गणना अग्रिम पर प्रभारित की गई पुनर्संरचना के पूर्व विद्यमान ब्याज दर तथा पुनर्संरचना की तारीख को बैंक के बीपीएलआर की समतुल्य दर पर भुनाए गए मूलधन को दर्शानेवाले नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य तथा पुनर्संरचना की तारीख को उधारकर्ता श्रेणी के लिए उपयुक्त अवधि प्रीमियम तथा ऋण जोखिम प्रीमियम के योग के रूप में की जाएगी ।" पुनर्संरचना के बाद ऋण के उचित मूल्य की गणना अग्रिम पर पुनर्संरचना के पश्चात् प्रभारित की गई ब्याज दर तथा पुनर्संरचना की तारीख को बैंक के बीपीएलआर की समतुल्य दर पर भुनाए गए मूलधन को दर्शानेवाले नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य तथा पुनर्संरचना की तारीख को उधारकर्ता श्रेणी के लिए उचित अवधि प्रीमियम तथा ऋण जोखिम प्रीमियम के योग के रूप में की जाएगी ।"

5.3 कृपया नोट करें कि उपर्युक्त फॉर्मूला ब्याज दर चक्र के साथ ऋणों के वर्तमान मूल्यों में होनेवाली कमी के उतार-चढ़ावों को नियंत्रित करता है तथा भविष्य में उसका नियमित रूप से अनुपालन करना होगा । उक्त फॉर्मूले को परिवर्तित करने के लिए, विशेष रूप से वर्तमान फॉर्मूले को वापस अपनाए जाने के किसी भी अनुरोध पर भविष्य में विचार नहीं किया जाएगा।

5.4 साथ ही, इस बात को दोहराया जाता है कि उपर्युक्त के अनुसार प्रावधानों की आवश्यकता बैंकों की कार्रवाई के कारण होती है क्योंकि ऐसी कार्रवाई के परिणामस्वरूप पुनर्संरचना किए जाने पर ऋण की वित्तीय रियायतों के स्वरूप की संविदागत शर्तों में परिवर्तन होता है । ये प्रावधान अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत खाते के आस्ति वर्गीकरण से जुड़े हुए प्रावधानों से अलग हैं और ऋण की गुणवत्ता में ॅास के कारण हुई अनर्जकता को प्रतिबिम्बित करते हैं । इस प्रकार ये दो प्रकार के प्रावधान एक-दूसरे का स्थानापन्न नहीं हैं ।

5.5 इस बात पर पुनः जोर दिया जाता है कि अग्रिमों की पुनर्संरचना संबंधी दिशानिर्देशों में दिसंबर 2008 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई सभी संशोधन यूनिटों के आर्थिक मूल्य को बनाए रखने के लिए बैंकों तथा उधारकर्ताओं को एक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किए गए हैं और उन्हें अग्रिमों को `सदाबहार' रखने के एक साधन के रूप में न देखा जाए ।

5.6 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए बैंकों द्वारा प्रकाशित वार्षिक तुलन-पत्रों में 27 अगस्त 2008 के उक्त संदर्भित परिपत्र के पैराग्राफ 8 के अनुसार अपेक्षित पुनर्संरचित ऋणों के संबंध में प्रकटीकरणों के अतिरिक्त, बैंकों को उन खातों की राशि तथा संख्या भी प्रकट करनी होगी जिनके

संबंध में पुनर्संरचना के लिए किए गए आवेदन प्रक्रियाधीन हैं लेकिन पुनर्संरचना पैकेजों को अब तक अनुमोदित नहीं किया गया है ।

(ii) कार्यशील पूंजी सुविधाओं के मामले में नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट घटक के उचित मूल्य में कमी की गणना ऊपर पैरा (1) के अनुसार की जानी चाहिए, जिसमें बकाया राशि या स्वीकृत सीमा में से उच्चतर राशि को मूल ऋण राशि तथा अग्रिम की अवधि को एक वर्ष माना जाना चाहिए । डिस्काउंटर फैक्टर में अवधि प्रीमियम एक वर्ष के लिए लागू होगा । मीयादी ऋण घटकों (कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण और निधिक ब्याज मीयादी ऋण) के उचित मूल्य की गणना वास्तविक नकदी प्रवाह के अनुसार तथा संबंधित मीयादी ऋण घटकों की परिपक्वता पर लागू अवधि प्रीमियम को डिस्काउंट फैक्टर में मानते हुए की जाएगी।

(iii) यदि अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले कोई जमानत ली जाती है तो जमानत की परिपक्वता तक उसका मूल्य 1 रुपया माना जाना चाहिए । इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि लाभ और हानि खाते में आर्थिक क्षति प्रभारित करने का प्रभाव समाप्त नहीं होगा ।

(iv) उचित मूल्य में कमी की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को पुनः की जानी चाहिए, जब तक कि सभी चुकौती दायित्व संतोषजनक रूप से पूरे नहीं कर लिये जाते हैं तथा खाते के बकाये की पूरी चुकौती नहीं हो जाती है। ऐसा इसलिए किया जाना है ताकि बीपीएलआर, अवधि प्रीमियम और उधारकर्ता की ऋण श्रेणी में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य में आए परिवर्तन को गणना में शामिल किया जा सके । इसके फलस्वरूप, बैंक प्रावधान में आयी कमी को पूरा कर सकते हैं या अलग खाते में रखे अतिरिक्त प्रावधान को रिवर्स कर सकते हैं।

(v) यदि विशेषज्ञता/समुचित इनफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में छोटी/ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिये गये अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी की गणना सुनिश्चित करना बैंक के लिए कठिन हो तो उचित मूल्य में कमी की राशि की गणना के लिए ऊपर निर्धारित क्रियाविधि के विकल्प के रूप में बैंक उचित मूल्य में कमी की राशि की गणना नोशनल आधार पर कर सकते हैं तथा उन सभी पुनर्रचित खातों के मामले में जहां बैंक का कुल बकाया **एक करोड़ रुपये** से कम हो मार्च 2011 को समाप्त वित्त वर्ष तक कुल एक्सपोज़र के **पांच प्रतिशत पर** प्रावधान कर सकते हैं । बाद में इस स्थिति की समीक्षा की जाएगी ।

5.7 किसी खाते के लिए अपेक्षित कुल प्रावधान (सामान्य प्रावधान तथा अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले प्रावधान) की अधिकतम राशि बकाया ऋण राशि के 100% है ।

6. अदत्त ब्याज का `निधिक ब्याज मीयादी ऋण' (एफआइटीएल) ऋण अथवा इक्विटी लिखतों में परिवर्तन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

6.1 आस्ति वर्गीकरण मानदंड

अदत्त ब्याज के परिवर्तन से निर्मित एफआइटीएल/ ऋण अथवा ईक्विटी लिखत को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा जिसमें पुनर्व्यवस्थित अग्रिम का वर्गीकरण किया गया है। एफआइटीएल/ऋण अथवा ईक्विटी लिखतों के आस्ति वर्गीकरण में अगला उतार-चढ़ाव भी पुनर्व्यवस्थित अग्रिम के परवर्ती आस्ति वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

6.2 आय-निर्धारण मानदंड

6.2.1 इन लिखतों से प्राप्त आय यदि कोई हो को, इन लिखतों को यदि `मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो उपचित आधार पर, और अनर्जक आस्ति के रूप में जिनका वर्गीकरण किया गया है उस मामले में नकद आधार पर निर्धारित किया जाएगा ।

6.2.2 अप्राप्त आय का प्रतिनिधित्व करने वाले एफआइटीएल/ऋण अथवा ईक्विटी लिखत के संबंध में "फुटकर देयता खाता (ब्याज का पूंजीकरण)" शीर्ष वाले खाते में तदनुरूपी जमा होनी चाहिए।

6.2.3 एफआइटीएल के मामले में चुकौती के बाद अथवा ऋण / ईक्विटी लिखतों की बिक्री /मोचन से राशि प्राप्त होने के बाद ही, प्राप्त राशि को लाभ-हानि खाते में दर्ज किया जाएगा और उसी समय `फुटकर देयताएं खाते (ब्याज का पूंजीकरण)में शेष को कम किया जाएगा ।

7. आस्ति वर्गीकरण के लिए विशेष विनियामक व्यवहार

7.1.1 इस संबंध में पैरा 3 में निर्धारित प्रावधानों में संशोधन के अनुसार महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों में लगे हुए उधारकर्ताओं को नीचे पैरा में दी गई कुछ शर्तों के अनुपालन के अधीन आस्ति वर्गीकरण के लिए विशेष विनियामक व्यवहार उपलब्ध होगा। इस तरह का व्यवहार अग्रिमों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए उपलब्ध नहीं है :

i. उपभोक्ता तथा व्यक्तिगत अग्रिम जिसमें शेयर /बांड /डिबेंचर आदि की जमानत पर व्यक्तिगत अग्रिम शामिल है

ii.व्यापारियों को अग्रिम

7.1.2 इन तीन श्रेणियों के खातों तथा पैरा 7.2 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न करने वाले अन्य खातों का आस्ति वर्गीकरण इस संबंध में उपर्युक्त पैरा 3 में वर्णित विवेकपूर्ण मानदंडों की परिधि में आएगा।

7.1.3 स्थावर संपदा क्षेत्र मे आयी मंदी के कारण 30 जून 2009 तक पुनर्रचाना किए गए वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋण जोखिम को विशेष विनियमन प्रावधान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा बैंकों द्वारा दिए गए आवास ऋण की यदि पुनर्रचना की जाती है तो वे विशेष विनियमन प्रावधान के पात्र होंगे।

7.2 विशेष विनियामक ढांचे के तत्व

7.2.1 **विशेष विनियामक ढांचे में दो निम्नलिखित घटक हैं** :

(i) पुनर्रचना पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन

(ii) पुनर्रचित खाते के आस्ति वर्गीकरण को पुनर्रचना पूर्व आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में ही रखना

7.2.2 **पुनर्रचना पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन**

पैरा 2.2 में दिए गए अनुसार अग्रिम की पुनर्रचना का आवेदन बैंक के पास लंबित होने की अवधि के दौरान, सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू होना जारी रहेगा। आस्ति के पुनर्वर्गीकरण की प्रक्रिया आवेदन विचाराधीन होने के कारण रुकनी नहीं चाहिए। तथापि, पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में बैंक यदि अनुमोदित पैकेज आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 120 दिनों के अंदर कार्यान्वयित करता है तो आस्ति वर्गीकरण की स्थिति बैंक का पुनर्रचना आवेदन प्राप्त होने के समय की आस्ति वर्गीकरण स्थिति को उस स्तर पर पुनः स्थापित किया जाएगा । इसके अलावा 1 सितंबर 2008 की स्थिति के अनुसार सभी मानक खाते पयुर्रचाना के बाद मानक खाते ही बने रहेंगे बशर्ते पुनर्रचना पैकेज लेने की तिथि से 120 दिनों केअंदर पैकेज कार्यान्वयित किया जाना चाहिए। पुनर्रचना पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए 120 दिनों का मानदंड 30 जून 2009 के बाद कार्यान्वयित होने वाले सभी पुनर्रचना पैकेजों के संदर्भ में 90 दिनों का होगा।

7.2.3 **आस्ति वर्गीकरण लाभ**

पैरा 3 में निर्धारित विवेकपूर्ण ढांचे के अनुपालन के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीनः

(i) पैरा 3.2.1 के आशोधन में पुनर्रचना के बाद किसी मौजूदा `मानक आस्ति' का दर्जा घटाकर उसे अवमानक श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

(ii) पैरा 3.2.2 के आशोधन में निर्दिष्ट अवधि के दौरान संतोषजनक कार्यनिष्पादन प्रदर्शित करने पर निर्दिष्ट अवधि के दौरान अवमानक /संदिग्ध खातों के आस्ति वर्गीकरण का दर्जा पुनर्रचना करने पर कम नहीं होगा ।

तथापि ये लाभ निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन उपलब्ध होंगे :

i) बैंक को प्राप्य राशियां अनुबंध अ में परिभाषित किए गए अनुसार `पूरी तरह रक्षित' हैं। मूर्त जमानत द्वारा पूरी तरह रक्षित होने की शर्त निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगी :

(ए) लघु उद्योग उधारकर्ता जहां 25 लाख रुपए तक की राशि बकाया है।

(बी) बुनियादी सुविधा परियोजनाएं बशर्ते इन परियोजनाओं से अर्जित नकदी प्रवाह अग्रिम की चुकौती के लिए पर्याप्त हैं, वित्तपोषण करने वाले बैंकों के पास नकदी प्रवाहों के निलंबन के लिए

उचित प्रणाली स्थापित है और उनके पास इन नकदी प्रवाहों पर प्रथम दावा करने का स्पष्ट तथा कानूनन अधिकार है।

(सी) ऋण की अदायगी मे चूक की स्थिति में बैंक को होनेवाली संभावित हानि प्रतिभूति के मूल्य पर निर्भर करेगी। पुनर्रचित ऋणों के मामले में इस पहलू का महत्व और बढ़ जाता है। तथापि मौजूदा आर्थिक मंदी के कारण आहरण अधिकार से अधिक शेष मूलधन के अनियमित हिस्से के संपरिवर्तन से डब्ल्युसीटीएल पर किया गया संपूर्ण प्रतिभूति कवर प्रतिभूति की कीमतों में गिरावट के कारण उपलब्ध नहीं होगा। इस असामान्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह विशेष विनियामक व्यवस्था "मानक" तथा "अवमानक खातों" के लिए वहां भी उपलब्ध है जहां डब्ल्युसीटीएल के लिए संपूर्ण प्रतिभूति कवर उपलब्ध नहीं है बशर्ते डब्ल्युसीटीएल के गैर-प्रत्याभूत हिस्से के लिए निम्नानुसार प्रावधान किए गए हों:

- मानक आस्तियाँ: 20%
- अवमानक अस्तियाँ : पहले वर्ष के दौरान 20% तथा उसके बाद विनिर्दिष्ट अवधि (पुनर्रचना की शर्तों के अंतर्गत पहली चुकौती देय होने के बाद एक वर्ष) तक प्रत्येक वर्ष उसमें 20% की वृद्धि
- यदि विनिर्दिष्ट अवधि के बाद खाता स्तरोन्नयन के लिए पात्र हीं है तो अरक्षित हिस्से के लिए 100% प्रावधान

ii) यदि वह बुनियादी सुविधा देने वाले कार्य कर रही है तो यूनिट 10 वर्ष की अवधि में अर्थक्षम होती है और अन्य इकाइयों के मामले में 7 वर्ष की अवधि में ।

iii) पुनर्रचित अग्रिम की चुकौती की अवधि जिसमें अधिस्थगन यदि कोई हो, शामिल हैं बुनियादी सुविधाएं अग्रिमों के मामले में 15 वर्ष तथा अन्य अग्रिमों के मामले में 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यद्यपि 10 वर्ष की अधिकतम सीमा आवास ऋण के मामलां में लागू नहीं है तथा बैंक का निदेशक मंडल अग्रिमों की सुरक्षा तथा सलामती के लिए 15 वर्ष तक की अवधि निर्धारित करें।

iv) पुनर्रचना आवास ऋण के लिए निर्धारित जोखिम भारिता से 25 प्रतिशत बिंदु अधिक अतिरिक्त जोखिम भारिता निर्धारित करें। प्रवर्तकों का त्याग तथा उनके द्वारा लायी गई अतिरिक्त निधियां बैंक के त्याग की कम-से-कम 15 प्रतिशत होनी चाहिए।

v) अर्थव्यवस्था तथा उद्योग से संबंधित बाहरी कारणों का यूनिट पर असर पड़ने के मामले को छोड़कर अन्य सभी में प्रवर्तक ने अपनी व्यक्तिगत गारंटी दी हो।

vi) विचाराधीन पुनर्रचना अनुबंध अ के पैरा (iv) में परिभाषित किए गए अनुसार `पुनरावृत्त पुनर्रचना' नहीं हैं। तथापि 30 जून 2009 तक की ऋण जोखिम के लिए एक बारगी उपाय के रूप मे बैंक द्वारा की गयी दूसरी पुनर्रचना विशेष विनियामक प्रावधान के लिए पात्र होगी।

8. प्रक्रिया

8.1 (i) इन दिशा निर्देशों के आधार पर राज्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत बैंक संबंधित सहकारी समितियों के निबंधक के अनुमोदन से लघु और मझौले उद्यमों तथा अन्य उधारकर्ताओं के ऋण पुनर्रचना योजना तैयार करें। तथापि बहुराज्यीय सहकारी बैंको के मामले में उक्त दिशा निर्देश निदेशक मंडल के अनुमोदन से तैयार करें।

(ii) उधारकर्ता इकाई से इस आशय का अनुरोध प्राप्त होने पर पुनर्रचना कीजाए।

(iii) संघ / बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत आनेवाले पात्र लघु और मझौले उद्यमों के मामले में न्यूनतम बकाया राशि वाले बैंक दूसरी बड़ी हिस्सेदारी रखनेवाले बैंक के साथ पुनर्रचना पैकेज तैयार करें ।

(iv) संघ /बहु बैंकिंग /सिंडिकेशन व्यवस्था के अंतर्गत आनेवाले अन्य औद्योगिक इकाईयों की ऋण पुनर्रचना के लिए तथा सीडीआर प्रणाली के अतर्गत यदि कोई शहरी सहकारी बैंक भाग ले रहा हे , ऐसे मामलों में बैंकों को हमारे बैंकिंग परिचालन विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारि दिशानिर्देशों के बारे में मार्गदर्शन करे ।

8.2 बैंक अनुमोदित पुनर्रचना पैकेजों में ऋणदाता के चुकौती में तेजी लाने के अधिकारों तथा उधारकर्ता के समय-पूर्व भुगतान करने के अधिकार को शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। प्रतिदान /प्रतिपूर्ति का अधिकार बैंकों द्वारा निर्धारित किसी कार्यनिष्पादन मानदंड पर आधारित होना चाहिए।

9. प्रकटीकरण

बैंकों को अपने प्रकाशित वार्षिक तुलन पत्रों में `लेखे पर टिप्पणियां' के अंतर्गत पुनर्रचित अग्रिमों की संख्या तथा राशि के संबंध में तथा अनुबंध -आ में उल्लिखित पुनर्रचित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी की मात्रा संबंधी जानकारी भी प्रकट करनी चाहिए। यह जानकारी एसएमई ऋण पुनर्रचना प्रणाली तथा अन्य श्रेणियों के अंतर्गत पुनर्रचित अग्रिमों के लिए अलग से अपेक्षित होगी।

10. उदाहरण

पुनर्रचित खातों के आस्ति वर्गीकरण से संबंधित कुछ उदाहरण अनुबंध - इ में दिए गए हैं।

<u>अनुबंध- 4(अ)</u>

अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

<u>प्रमुख अवधारणाएं</u>

(i) **अग्रिम:** `अग्रिम' शब्द का अर्थ होगा सभी प्रकार की ऋण सुविधाएं जिनमें नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मीयादी ऋण, भुनाए /खरीदे गए बिल, आढ़तीय प्राप्य राशियां आदि तथा ईक्विटी स्वरूप के छोड़कर अन्य निवेश शामिल होंगे।

(ii) **पूरी तरह रक्षित :** जब बैंक को देय राशियां (पुनर्रचित ऋण की शर्तों के अनुसार मूलधन तथा प्राप्य ब्याज का वर्तमान मूल्य), उन राशियों के संबंध में बैंक के पक्ष में विधिवत् प्रभारित जमानत के मूल्य द्वारा पूरी तरह रक्षित हैं, तब बैंक को देय राशियों को पूरी तरह रक्षित समझा जाता है। जमानत वसूली योग्य मूल्य का मूल्यांकन करते समय प्राथमिक तथा संपार्श्विक प्रतिभूतियों की भी गणना की जाएगी, बशर्ते ऐसी प्रतिभूतियां मूर्त स्वरूप की हैं और प्रवर्तक /अन्यों की गारंटी आदि जैसे अमूर्त रूप में नहीं हैं। तथापि, इस प्रयोजन के लिए बैंक की गारंटियों, राज्य सरकार की गारंटियों तथा केंद्र सरकार की गारंटियों को मूर्त जमानत के समतुल्य माना जाएगा।

(iii) **पुनर्रचित खाते** : पुनर्रचित खाता ऐसा खाता है जहां बैंक उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक अथवा विधिक कारणों के लिए उधारकर्ता को ऐसी रियायतें प्रदान करता है जिन्हें प्रदान करने पर वह अन्यथा विचार न करता। पुनर्रचना में सामान्यतः अग्रिमों /जमानत की शर्तों में संशोधन किया जाएगा जिसमें सामान्यतः अन्य बातों के साथ चुकौती की अवधि /चुकौती योग्य राशि /किस्तों की राशि / ब्याज की दर (प्रतियोगी कारणों को छोड़कर अन्य कारणों से) में परिवर्तन शामिल होगा।

(iv) **पुनरावृत्त पुनर्रचित खाते**: जब कोई बैंक किसी खाते की दूसरी (अथवा उससे अधिक) बार पुनर्रचना करता है तो उस खाते को `पुनरावृत्त पुनर्रचित खाता' समझा जाएगा। तथापि, पहली पुनर्रचना की शर्तों के अंतर्गत प्रदान की गई रियायतों की अवधि समाप्त होने के बाद यदि दूसरी पुनर्रचना की जाती है तो उस खाते को `पुनरावृत्त पुनर्रचित खाता' नहीं समझा जाएगा।

(v) **एसएमई**: छोटे तथा मझौले उद्यम समय-समय पर संशोधित ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के 18 अप्रैल 2007 के परिपत्र शबैंवि. पीसीबी.परि. सं.35/ 09.09.001/06-07 में परिभाषित उपक्रम है।

(vi) **निर्दिष्ट अवधि**: निर्दिष्ट अवधि का अर्थ है पुनर्रचना पैकेज की शर्तों के अनुसार ब्याज अथवा मूल धन की किस्त की पहली अदायगी देय होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि ।

(vii) **संतोषजनक कार्यनिष्पादन** : निर्दिष्ट अवधि के दौरान संतोषजनक कार्यनिष्पादन का अर्थ उस अवधि के दौरान निम्नलिखित शर्तों का पालन किए जाने से है :

कृषीतर नकद ऋण खाते : कृषीतर नकद ऋण खातों के मामले में उक्त खाता निर्दिष्ट अवधि के दौरान जैसा कि टियर I तथा टियर II शहरी सहकारी बैंकों के लिए लागू है, 90 दिन / 180 दिन से अधिक अवधि के लिए चूक की स्थिति (आउट ऑफ ऑर्डर) में नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट अवधि के अंत में कोई भी अतिदेयताएं नहीं होनी चाहिए।

कृषीतर मीयादी ऋण खाते : कृषितर मीयादी ऋण खातों के मामले में कोई भी भुगतान 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय नहीं रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट अवधि के अंत में कोई भी अतिदेयताएं नहीं होनी चाहिए।

सभी कृषि खाते : कृषि खातों के मामले में निर्दिष्ट अवधि के अंत में खाता नियमित होना चाहिए।

अनुबंध - 4(आ)

अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

पुनर्रचित खातों के ब्यौरे

(लाख रुपये में)

		आवास ऋण	एसएमई ऋण पुनर्रचना	अन्य
पुनर्रचित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या			
	बकाया राशि			
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)			
पुनर्रचित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या			
	बकाया राशि			
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)			
पुनर्रचित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या			
	बकाया राशि			
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)			
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या			
	बकाया राशि			
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)			

अनुबंध -4 (इ)

अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

दिशानिर्देशों के अंतर्गत पुनर्रचित खातों का आस्ति वर्गीकरण					
	ब्यौरे	**मामला 1**	**मामला 2**	**मामला 3**	**मामला 4**
I	भुगतान की कल्पित नियत तारीख	31.01.2007	31.01.2007		
	पुनर्रचना की कल्पित तारीख	31.03.2007	31.03.2007	31.03.2007	31.03.2007
	पुनर्रचना की तारीख को बकाया रहने की अवधि	2 महीने	2 महीने	18 महीने	18 महीने
	पुनर्रचना के पूर्व आस्ति वर्गीकरण(एसी)	\`मानक'	\`मानक'	\`संदिग्ध - एक वर्ष से कम'	\`संदिग्ध - एक वर्ष से कम'
	अनर्जक आस्ति की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	31.12.05 (कल्पित)	31.12.05 (कल्पित)
II	**पुनर्रचना के धसमय आस्ति वर्गीकरण**				
	उधारकर्ता का कल्पित स्तर	विशेष विनियामक व्यवहार के लिए पात्र	विशेष विनियामक व्यवहार के लिए अपात्र	विशेष विनियामक व्यवहार के लिए पात्र	विशेष विनियामक व्यवहार के लिए अपात्र
	पुनर्रचना के पश्चात् आस्ति वर्गीकरण	\`मानक'	31.03.07 (अर्थात् पुनर्रचना की तारीख को) से दर्जा घटाकर \`अवमानक' श्रेणी में	संदिग्ध - एक वर्ष से कम	संदिग्ध - एक वर्ष से कम
	संशोधित शर्तों के अंतर्गत कल्पित पहला देय भुगतान	31.12.07	31.12.07	31.12.07	31.12.07

III	**पुनर्रचना के बाद आस्ति वर्गीकरण**				
अ.	**पुनर्रचित शर्तों के अनुसार खाता संतोषजनक कार्यनिष्पादन करता है**				
(क)	एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि (अर्थात् 31.12.07 से 31.12.08 तक) के दौरान आस्ति वर्गीकरण	कोई परिवर्तन नहीं (अर्थात् `मानक' रहता है)	31.03.08 से (अर्थात् अवमानक रूप में वर्गीकरण के एक वर्ष के बाद) संदिग्ध - एक वर्ष से कम	कोई परिवर्तन नहीं (अर्थात् `संदिग्ध - एक वर्ष से कम' श्रेणी में ही रहता है)	31.12.07 से (अर्थात् `संदिग्ध - एक वर्ष से कम' के रूप में वर्गीकरण एक वर्ष के बाद
(ख)	एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के बाद आस्ति वर्गीकरण	`मानक' श्रेणी में जारी रहता है	`मानक' श्रेणी में उन्नयन किया गया	`मानक' श्रेणी में उन्नयन किया गया	`मानक' श्रेणी में उन्नयन किया गया
ख	**यदि पुनर्रचित शर्तों के अनुसार कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं है**				
(क)	एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के दोरान आस्ति वर्गीकरण (यदि एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व असंतोषजनक कार्यनिष्पादन स्थापित हुआ हो)	30.04.2007 से `अवमानक' माना गया तथा 30.4.08 से दर्जा घटाकर `संदिग्ध - एक वर्ष से कम' किया गया	31.03.08 से (अर्थात् वर्गीकरण के एक वर्ष के बाद) संदिग्ध - एक वर्ष से कम	31.12.07 से `संदिग्ध एक से तीन वर्ष'	31.12.07 से (अर्थात् `संदिग्ध - एक वर्ष से कम' के रूप में वर्गीकरण से एक वर्ष की अवधि के बाद 31.12.06 को) संदिग्ध - एक से तीन वर्ष
(ख)	यदि असंतोषजनक कार्यनिष्पादन जारी रहता हो तो एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के बाद आस्ति वर्गीकरण	30.04.09 से `संदिग्ध - एक से तीन वर्ष' श्रेणी में जाएगा और 30.04.2011 से `संदिग्ध - तीन वर्ष से अधिक' में	31.03.09 से `संदिग्ध- एक से तीन वर्ष' श्रेणी में जाएगा और 31.03.2011 से संदिग्ध - तीन वर्ष से अधिक में	31.12.09 से संदिग्ध - तीन वर्ष से अधिक' श्रेणी में जाएगा।	31.12.09 से `संदिग्ध -तीन वर्ष से अधिक' श्रेणी में आगे डाला जाएगा।

अनुबंध - 5

माइक्रोट, लघु तथा मध्यम उद्यमों की परिभाषा

(पैरा 6 देखें)

(ए) नीचे दिए गए अनुसार वस्तुओं के विनिर्माण अथवा उत्पादन, प्रसंस्करण अथवा परिरक्षण में लगे उद्यम

(i) माइक्रो उद्यम वह उद्यम है जहाँ संयंत्र और मशीनरी में निवेश (भूमि और भवन तथा लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा अपनी दिनांक 5 अक्तूबर 2006 की अधिसूचना सं. एसओ. 1722 (ई) (प्रति संलग्न) में निर्दिष्ट मदों को छोड़कर मूल लागत) 25 लाख रुपए से अधिक न हो ;

(ii) लघु उद्यम वह उद्यम है जहाँ संयंत्र और मशीनरी में निवेश (भूमि और भवन तथा लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा अपनी दिनांक 5 अक्तूबर 2006 की अधिसूचना सं. एसओ. 1722 (ई) में निर्दिष्ट मदों को छोड़कर मूल लागत) 25 लाख रुपए से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपए से अधिक न हो ; और

(iii) मध्यम उद्यम वह उद्यम है जहाँ संयंत्र और मशीनरी में निवेश (भूमि और भवन तथा लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा अपनी दिनांक 5 अक्तूबर 2006 की अधिसूचना सं. एसओ. 1722 (ई) में निर्दिष्ट मदों को छोड़कर मूल लागत) 5 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपए से अधिक न हो ।

(बी) सेवाएं प्रदान करने अथवा उपलब्ध कराने में लगे उद्यम तथा उपस्कर में उनका निवेश (भूमि और भवन तथा फर्नीचर, फिटिंग्स और ऐसी अन्य मदें जो दी गई सेवाओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है अथवा एमएसएमईडी अधिनियम , 2006 में अधिसूचित की गई मदों को छोड़कर मूल लागत) नीचे निर्दिष्ट किया गया है। इनमें शामिल होंगे - छोटे सड़क और जल मार्ग परिवहन परिचालक (जिनके वाहन दस्ते में वाहनों की संख्या दस से अधिक नहीं है), खुदरा व्यापार (जिनकी ऋण सीमा 10 लाख रूपए से अधिक नहीं है), छोटे कारबार (कारबार के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त उपस्कर की मूल लागत मूल्य 20 लाख रूपए से अधिक नहीं है) और व्यावसायी एवं स्वनियोजित व्यक्ति (जिनकी उधार लेने की सीमा 10 लाख रूपए से अधिक नहे है तथा उसमें से 2 लाख रूपए से अनधिक राशि कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए होनी चाहिए। तथापि, ऐसे व्यावसायिक अर्हता प्राप्त चिकित्सक जो अर्ध शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अपना चिकित्सकीय व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं, उनके मामलों में कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए 3 लाख रूपए की उप सीमा सहित उधार लेने की सीमा 15 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए)।

(i) माइक्रो उद्यम वह उद्यम है जिसका उपकरण में निवेश 10 लाख रूपए से अधिक न हो;

(ii) लघु उद्यम वह उद्यम है जिसका उपकरण में निवेश 10 लाख रुपए से अधिक लेकिन 2 करोड़ रूपए से अधिक न हो; और

(iii) मध्यम उद्यम वह उद्यम है जिसका उपकरण में निवेश 2 करोड़ रूपए से अधिक लेकिन 5 करोड़ रूपए से अधिक न हो।

अनुबंध - 6

सुरक्षा उपाय - स्वर्ण / चांदी के आभुषण गिरवी रखने के बदले में अग्रिम

(पैरा 7.5.1 देखें)

(i) गहनों का स्वामित्व

यह आवश्यक है कि बैंक के पास जिन व्यक्तियों की बाकायदा पहचान है उन्हीं को अग्रिम दिया जाए । गहनों को गिरवी के रूपमें स्वीकार करने से पहले बैंक गहनों के स्वामित्व के संबंध में खुद को संतुष्ट करें । बैंक उधारकर्ता से यह घोषणपत्र प्राप्त करें कि गहने उसकी संपत्ति हैं तथा बैंक के पास उन्हें गिरवी रखने का उसे पूर्ण अधिकार है । गिरवी रूप में   के लिए गहने स्वीकार करना तथा बैंक की बकाया राशि चुकता करने के बाद संबंधित पार्टी को गहने लौटाने का कार्य प्राधिकृत कार्यालयीन कक्ष में ही किया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के जोखिम से गचा जा सके ।

(ii) मूल्यांकन

गिरवी रखने के लिए प्रस्तावित स्वर्णभूषणों का मूल्यांकन करने के लिए बैंक को अनुमोदित ज्वेलर्स या श्रॉफ की मुल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्ति करनी चाहिए तथा क्षतिपूर्ति बांड और नकद के रूप में पर्याप्त जमानत रखनी चाहिए । गहनों का मूल्यांकन एवं समीक्षा बैंक परिसर में ही करना उचित होगा परंतु जब यह संभव न हो तब मार्ग में होनेवाली हानि से बचने के लिए बैंक उचित सावधानी बरते । बैंक के पास तालबंद बक्से में गहने भेजे जिसकी एक चाबी के पास तथा दूसरी बैंक के पास रखी जाए । बक्से को बैंक के जिम्मेदार स्टाफ के जरिए तथा भावी उधारकर्ता के साथ भेजा जाए । हर बार बक्से में गहने रखने का कार्य बाक्स को मूल्यांकपकर्ता के पास ले जाने वाले कर्मचारी तथा उधारकर्ता की उपस्थिति में किया जाए । मार्ग में गहनों की हानि के लिए बैंक आवश्यक बीमा करवाएं ।

(iii) मूल्यांकन रिपोर्ट

मूल्यांकन प्रमाणपत्र में गहनों का वर्णन, उनकी सूक्ष्मता, गहनों का सकल वजन, सोने की मात्रा का निवल वजन जिसमें नग, लाख, मिश्र धातु, तार, झूलन आदि का वजन शामिल नहीं है तथा सोने का मौजूदा बाजार मूल्य आदि स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए । द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट विधिवत हस्ताक्षरित होनी चाहिए जो ऋण दस्तोवेजों के साथ बैंक के पास रखा जाना चाहिए ।

(iv) जमानत का रिकार्ड

उधारकर्ता का पूर्ण नाम, उसका आवासीय पता, अग्रिम की तारीख, राशि तथा गहनों का विस्तृत वर्णन 'सोने के गहने' नामक रजिस्टर में दर्ज किया जाए तथा प्रबंधक द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और उस पर अपने आद्याक्षर दर्ज़ किए जाने चाहिए ।

(v) गहनों की अभिरक्षा

प्रत्येक उधारकर्ता के गहने (या प्रत्येक ऋण की वस्तुएं) गहनों के वर्णन, स्वर्ण ऋण खाता सं., पार्टी का नाम आदि की सूची के साथकपडे की छोटी थैलियों में अलग-अलग रखा जाए । ऋण खाता सं, तथा पार्टी के नाम का एक टैग बैग के साथ बांधा जाए ताकि उनकी पहचान करने में सुविधा हो । ऋण खाता संख्या के क्रमानुसार थैलियां ट्रे में रखी जाएं तथा स्ट्राँग रूम या अग्निरोधी आलमारियों (फायर प्रुफ सेफ) में संयुक्त अभिरक्षा में रखी जाएं ।

(vi) अवधि

स्वर्णाभुषणों के बदले में अग्रिम की अवधि सामान्यत: 6 महीनों से 1 साल तक ही सीमित रखनी चाहिए ।

(vii) मार्जिन

बाजार मूल्य से पर्याप्त अंतर रखा जाए । बैंक को अग्रिम पर ब्याज की वसूली शीघ्रतापूर्वक करनी चाहिए । किसी भी परिस्थिति में उपचित ब्याज ऋण खाते से नामे कर निर्धारित मार्जिन कम नहीं करना चाहिए ।

(viii) आभूषण लौटाना

खाते के ब्याज के साथ ऋण चुकाने पर उधारकर्ता को आभूषण लौटाने चाहिए तथा उससे आभूषण प्राप्ति की रसीद प्राप्त करनी चाहिए ।

(ix) आंशिक रूप से आभूषण लौटाना

ऋण की आंशिक चुकौती के बदले में कुछ आभूषण लौटाते समय यह सावधानी बरती जाए कि शेष आभूषणों का मूल्य खाते में निर्धारित मार्जिन के साथ बकाया राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त हो।

(x) तीसरे पक्ष को सुपुर्दगी

जब आभूषण तीसरे पक्ष की सुपुर्द किए जाते हैं, तो उधारकर्ता से प्राधिकार पत्र तथा बाद में उधारकर्ता से सुपुर्दगी की पुष्टि प्राप्त करें । प्राधिकार पत्र में उधारकर्ता द्वारा इस आशय का वचन दिया जाना चाहिए कि पत्र में उल्लिखित तीसरे पक्ष को आभूषणों की सुपुर्दगी से उत्पन्न, विवाद या हानि की जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी। प्राधिकार पत्र तथा गोल्ड लोन लेजर पर तीसरे पक्ष की रसीद प्राप्त करें ।

(xi) चूक

जब उधारकर्ता नियत तारीख को चुकौती करने से चुक जाता है तो उसे यह सूचना दी जाए की निर्धारित समयावधि में वह ऋण की चुकौती करे ं तथा यदि कोई उत्तर ने मिलने की स्थिति में पंजीकृत डाक द्वारा उसे यह कहते हुए अनुस्मारक भेजा जाए कि आभुषणों की नीलामी की जाएगी और बकाया राशि का बिक्री राशि से समायोजन करने के बाद यदि क ाटई राशि बचती है तो उधारकर्ता को वह अदा की जाएगी तथा उसकी रसीद ली जाएगी ।

(xii) आभुषणों को पुन: गिरवी रखना

आभुषणों को पुन: गिरवी रखना अग्रिम देना शहरी सकारी बैंको के लिए उचित नहीं है क्योंकि इस सुविधा का वित्तपोषण किए जाने की संभावना है जो अनुचित कार्यकलाप है ।

(xiii) बीमा

बैंक के पास गिरवी रखें गए रत्नों की चोरी की जोखिम के लिए बीमा करना चाहिए। यदि बैंक गिरवी रखे रत्नों को अग्निरोधक स्टाग रुम में रखता है तो आगजनी के लिए उनका बीमा करने की आवश्यकता नहीं है। नकद, रत्नाभूषण तथा अन्य मौल्यवान वस्तूँ और सभी प्रकार की जोखिम के लिए बीमा करावाएँ।

(xiv) सत्यापन

संयुक्त अभिरक्षक से अन्य अधिकारी द्वारा सोना / चांदी के आभूषण रखें गए पैकेटों का आकस्मिक सत्यापन किया जाए तथा इसे अलग रजिस्टर में आवश्यक ब्यौरों के साथ दर्ज किया जाए।

परिशिष्ट

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

अग्रिमों का प्रबंधन

क. मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

सं	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.29/13.05.00/2011-12	30.03.2012	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा बिलों की भुनाई – प्रतिबंधित साखपत्र (एलसी)
2.	शबैंवि.कैंका.बीपीडी.परि.सं.19 /09.11.200/2011-12	13.02.2012	साख सूचना कंपनियों को ऋण आसूचना प्रस्तुत करना - 1 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक राशि के चूककर्ता और 25 लाख रुपये तथा उससे अधिक राशि के इरादतन चूककर्ता - वाद दायर खातों से संबंधित ऋण आसूचनाओं का प्रसार
3.	शबैंवि.पीसीबी.बीपीडी.परि. 50 /13.05.000(बी)/2010-11	02.06.2011	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)तथा संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) का वित्तपोषण
4.	शबैंवि.पीसीबी.बीपीडी.परि. 69 /09.22.010/2009-10	09.06.2010	स्थावर संपदा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र को एक्सपोजर - शहरी सहकारी बैंक
5.	शबैंवि.पीसीबी.बीपीडी.परि.25 तथा 60 /09.11.200/2009-10	03.12.2009 29.04.2010	ऋण सूचना कंपनिया (विनियमन) अधिनियम , 2005
6.	शबैंवि.पीसीबी.बीपीडी.परि.16/ 09.22.010/2009-10 & शबैंवि. बीपीडी (पीसीबी)परि.सं 30/09.11.200/2010-11	26.10.2009	भवन निर्माता द्वारा बंधक संपत्ति प्रकट करना
7.	शबैंवि.पीसीबी.परि.53 ,60 /13.05.000/2008-09	06/03/09 20/04/09	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित दिशानिर्देश
8.	शबैंवि.पीसीबी.परि.36 ,59 /13.05.000/2008-09	21/01/09 09/04/09	सहायता संघीय व्यवस्था/ बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत ऋण देना
9.	शबैंवि.पीसीबी.परि. 24 /13.05.001/2008-09	10/11/08	सोना /चांदी के आभूषणों को गिरवी रखने के बदले में अग्रिम
10.	शबैंवि.पीसीबी.परि. 18 /13.04.00/2008-09	22.09.08	ब्याज कर अधिनियम 1974 का पुन: प्रवर्तन - उधार कर्ताओंसे संग्रहण

11.	शबैंवि.पीसीबी.परि.12 ,13 /12.05.001/2008-09	17.10.08	एएलएम दिशानिर्देश
12.	शबैंवि.पीसीबी.परि.57/16.74.00 /2008-09	24.06.2008	इरादतन चूककर्ता तथा उनके विरूद्ध कार्रवाई
13.	शबैंवि.पीसीबी.परि.33/13.05.00 / 07-08	29.02.2008	भवननिर्माता /ठेकेदारों को अग्रिम
14.	शबैंवि.पीसीबी.परि.22/13.05.00 / 07-08	26.11.2007	स्वर्ण ऋण भुगतान
15.	शबैंवि.पीसीबी.परि.13/13.05.00 00/ 07-08	13.09.2007	अग्रिमों की निगरानी- बरती जाने वाली सावधानियां - शहरी सहकारी बैंक
16.	शबैंवि.पीसीबी.परि.44/13.04.00 00/ 06-07	18.05.2007	बैंकों द्वारा लगाए गए अत्यधिक ब्याज के बारे में शिकायत
17.	शबैंवि.पीसीबी.परि.35/09.09.01 / 06-07	18.04.2007	माइक्रो,लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना
18.	शबैंवि.पीसीबी.बीपीडी.परि.33/13 .05.000/ 06-07	16.03.2007	किसान विकास पत्र खरीदने के लिए ऋणों की मंज़ूरी (केवीपी)
19.	शबैंवि.पीसीबी.परि.26/13.05.00 0/ 06-07	09.01.2007	संपत्ति का मूल्यन - मूल्यनकर्ताओं का पैनल
20.	शबैंवि.पीसीबी.परि.10/13.05.00 0/ 06-07	04.09.2006	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों संबंधी दिशानिर्देश

21.	शबैंवि.पीसीबी.परि.8/13.05.00 0/ 06-07	21.08.2006	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों संबंधी दिशानिर्देश
22.	शबैंवि.पीसीबी.परि.58/09.09.0 1/ 05-06	19.06.2006	राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी) का पालन-उधारदात्री संस्थानों के लिए आवश्यक निर्धारण
23.	शबैंवि.पीसीबी.बीपीडी.परि.सं. 46/13.05.000/ 05-06	19.04.2006	साख पत्र के अंतर्गत भुनाए गए बिल-जोखिम-भार तथा ऋण सीमा संबंधी मानदंड
24.	शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.36 /13.05.000/ 05-06	09.03.2006	लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए ऋण पुनर्गठन तंत्र - केंद्रीय वित्त मंत्री की घोषणा
25.	शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.34/13.0 5.000/ 05-06	02.03.2006	स्वर्णाभूषणों तथा गहनों पर अग्रिम
26.	शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.8/09.11 6.00/ 05-06	09.08.2005	पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड-

			आवास वित्त/वाणिज्यिक स्थावर संपदा को ऋण पर जोखिम-भार
27.	शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.14/09.11.01/ 2004-05	24.08.2004	बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना-अनुशासन की आवश्यकता
28.	शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.7/09.11.01/ 2004-05	29.07.2004	बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना-अनुशासन की आवश्यकता
29.	शबैंवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.37/ 13.05. 00/2003-04	16.3.2004	बैंकों द्वारा बिलों की भुनाई / पुनर्भुनाई
30.	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 34/13.05.00/2001-02	28.3.2002	बैंक ऋण की सुपुर्दगी के लिए ऋण प्रणाली
31.	शबैंवि.बीएसडी.1.सं.8/12.05.00/2001-02	31.8.2001	बैंकर चेक/भुगतान आदेश / मांग ड्राफ्ट जारी करना
32.	शबैंवि.सं.पॉट.सं.33/ 09.17.03/2000-01	20.2.2001	गुजरात में भूकंप से प्रभावित व्यक्तियों / व्यवसाय के लिए राहत उपाय
33.	शबैंवि.डीएस.32/13.04.00/2000-01	12.2.2001	भूकंप से प्रभावित निर्यातकों के लिए राहत / रियायतें

34.	शबैंवि.सं.पॉट.परि.30/ 09.20.00/2000-01	1.2.2001	शाखा सलाहकार समितियां
35.	शबैंवि.संबीआर.11/16. 74.00/1998-99	30.6.1999	25.00 लाख रू. तथा उससे अधिक की इरादतन चूक के मामलों पर सूचना का संग्रह और उसका प्रसारण
36.	शबैंवि.सं.डीएस.एसयूबी.परि. 4/13.05.00/1998-99	5.10.1998	सूचना प्रौद्योगिक (आईटी) तथा सॉफ्टवेअर उद्योग को कार्यशील पूँजी वित्त मंजूर करने के लिए दिशा-निर्देश
37.	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.8 /13.04.00/1998-99	30.9.1998	गुजरात में चक्रवात से प्रभावित निर्यातकों के लिए राहत / रियायतें
38.	शबैंवि.सं.बीआर.3/16.74.00/1998-99	29.7.1998	बैंक के चूककर्ता उधारकर्ताओं के संबंध में सूचना का प्रसारण वित्तीय संस्थाएं
39.	शबैंवि.सं.डीएस.एसयूबी. 19/13.05.00/1997-98	12.2.1998	ऋण मंजूरियों की सूचना
40.	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी. परि. 28/13.05.00/1997-98	16.12.1997	बैंकों द्वारा उधार के लिए दिशा-निर्देश - कार्यशील पूँजी का आकलन
41.	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी. परि.25/13.05.00/97-98	4.12.1997	लघु औद्योगिक इकाइयों के आपूर्तिकर्ताओं के बकायों के निपटान के लिए `बिल` वित्त
42.	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 15/13.05.00/97-98	21.10.1997	बैंक ऋण की सुपूर्दगी के लिए ऋण प्रणाली
43.	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.47/ 13.05.00/1996-97	23.4.1997	बैंकों द्वारा उधार देने के लिए दिशा-निर्देश - कार्यशील पूंजी का आकलन - अधिकतम

			स्वीकार्य बैंक वित्त की अवधारणा - नीति की समीक्षा
44.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.48/ 13.05.00/1996-97	23.4.1997	बैंक ऋण देने के लिए ऋण प्रणाली
45.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.31/ 13.05.00/1996-97	29.11.1996	बैंक ऋण देने के लिए ऋण प्रणाली
46.	शबैवि.सं.प्लान.पीसीबी.5/ 09.08.00/1996-97	16.7.1996	अग्रिम संविभाग का प्रबंधन और अग्रिमों पर नियंत्रण
47.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि 64/13.05.00/1995-96	31.5.1996	बैंक ऋण प्रदान करने के लिए ऋण प्रणाली

48.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 63/13.05.00/1995-96	24.5.1996	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उधार
49.	शबैवि.सं.बीआर.6/16.24. 00/1995-96	6.5.1996	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के चूककर्ताओं की जानकारी का प्रकटीकरण
50.	शबैवि.सं.प्लान.पीसीबी.60/ 09.78.00/1995-96	8.4.1996	उपकरण पट्टेदारी और किराया खरीद वित्तीय कार्यकलाप
51.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 54/13.05.00/1995-96	23.3.996	ऋण आवश्यकताओं का वास्तविक मूल्यांकन निधियों के विशाखन को रोकने के उपाय
52.	शबैवि.सं.डीसी.23/ 13.05.00/95-96	19.10.1995	ऋण निगरानी प्रणाली – बैंकों में उधारखातों के लिए ऋण स्थिति कूट
53.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 22/13.05.00/1995-96	13.10.1995	बैंक ऋण प्रदान करने के लिए ऋण प्रणाली
54.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 14/13.05.00/1995-96	28.9.1995	बैंक ऋण प्रदान करने के लिए एक ऋण प्रणाली आरंभ करना
55.	शबैवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी. 62/13.05.00/1994-95	12.6.1995	एक करोड़ रूपये से कम की कार्यशील पूंजीगत सीमा का मूल्यांकन – स्पष्टीकरण
56.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 59/13.06.00/1994-95	30.5.1995	गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को उधार, कार्यशील पूंजी के प्रयोजन के लिए बैंक उधार संबंधी मानदंड – परिशोधित दिशा-निर्देश
57.	शबैवि.सं.डीएस.(पीसीबी). परि.60/13.05.00/94-95	30.5.1995	गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को उधार
58.	शबैवि.सं.डीएस.(पीसीबी). परि.58/13.05.00/94-95	17.5.1995	तात्कालिक ऋण / अंतरिम वित्त
59.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी. परि. 41/13.05.00/1994-95	04.2.1995	उधार व्यवस्था का अनुपालन, (क) सहायता संघ व्यवस्था के अंतर्गत ब्याज की एक समान दर लगाना (ख) अनुदेशों का पालन न करने पर दंडात्मक ब्याज लगाना
60.	शबैवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.	10.2.1995	सहायता संघ व्यवस्था के अंतर्गत उधार

	43/13.05.00/1994-95		संबंधी दिशा-निर्देश
61.	शबैवि.सं.डी.एस.परि.पीसीबी.39/13.05.00/1994-95	14.1.1995	ऋण सीमाके उपयोग न किए गए अंश पर वायदा प्रभार लगाना
62.	शबैवि.सं.डीएस.परि.25/ 13.05.00/1994-95	21.10.1994	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उधार
63.	शबैवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.19/13.04.00/1994-95	5.10.1994	विभिन्न उद्योगों के लिए स्टॉक/प्राप्यराशि संबंधी मानदंड
64.	शबैवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.18/13.05.00/1994-95	19.9.1994	कार्यशील पूंजी के प्रयोजन के लिए बैंक ऋण संबंधी मानदंड तय करने के लिए रिज़र्व बैंक की भूमिका की समीक्षा करने के लिए गठित इन हाऊस ग्रुप की रिपोर्ट – परिशाधित दिशा-निर्देश
65.	शबैवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.3/13.05.00/1994-95	6.7.1994	सहायता संघ व्यवस्था के अंतर्गत उधार संबंधी दिशा-निर्देश
66.	शबैवि.सं.पीसीबी.परि.80/13.05.00/1993-94	1.6.1994	ऋण प्राधिकरण योजना – मीयादी ऋण प्रदान करने में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच तालमेल
67.	शबैवि.सं.(पीसीबी)50/13.05.00/93-94	14.1.1994	कतिपय क्षेत्रों को ऋण देने पर प्रतिबंध-स्थावर संपत्ति ऋण
68.	शबैवि.सं.पॉट.47/09.51.00/1993-94	6.1.1994	निक्षेप बीमा और प्रक्षेप गारंटी निगम को देय गारंटी प्रिमीयम की घटना
69.	शबैवि.सं.(पीसीबी).डीसी.40/13.05.00/1993-94	13.12.1993	ऋण प्रधिकारण योजना – कार्यशील पूँजी आवश्यकता के मूल्यांकन के लिए मीयादी ऋण किस्तों का निरुपण
70.	शबैवि.सं.प्लान.22/09.11.00/1993-94	24.9.1993	निधियों के प्रवाह की निगरानी
71.	शबैवि.(पीसीबी)5/13.06.00/1993-94	14.8.1993	ऋण प्रधिकरण योजना – मीयादी ऋण प्रदान करने में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच तालमेल
72.	शबैवि.सं.(पीसीबी)1/ 13.06.00/1993-94	12.7.1993	वनस्पति और हाइड्रोजनेटेड उद्योग के वित्तपोषण के लिए स्टॉक / प्राप्य राशि संबंधी मानदंडों की समीक्षा
73.	शबैवि.सं.डीसी.(पीसीबी)99/13.06.00/1992-93	30.6.1993	बिस्कुट और बेकरी उत्पादन उद्योग के वित्तपोषण के लिए स्टॉक / प्राप्य राशि संबंधी मानदंडों की समीक्षा
74.	शबैवि.(एसयूसी)डीसी.124/13.06.00/1992-93	30.6.1993	स्टॉक / प्राप्य राशि संबंधी मानदंड, बासमती चावल
75.	शबैवि.सं.(पीसीबी).54/ डीसी (आर-1)1992-93	7.4.1993	कतिपय क्षेत्रों के लिए ऋण पर प्रतिबंध

76.	शबैवि.सं.(पीसीबी)डीसी.45/आर.1/1992-93	25.2.1993	ऋण प्रधिकारण योजना – कार्यशील पूँजी आवश्यकता के मूल्यांकन के लिए मीयादी ऋण किस्तों का निरुपण
77.	शबैवि.सं.41/यूबी.17(सी)/1992-93	10.2.1993	हाल ही में दंगों से प्रभावित इलाकों में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा किए जानेवाले राहत उपयों के बारे में दिशा-निर्देश
78.	शबैवि.सं.आईएण्डएल.40.जे.1992-93	9.2.1993	कार्यशील पूँजीगत निधियों का विशाखन
79.	शबैवि.सं.पीसीबी.29/सी.(आर.1)/1992-93	26.12.1992	तत्कालीक ऋण / अंतरिम वित्त
80.	शबैवि.(पीसीबी)5/डीसीआर/1ए/1992-93	24.07.1992	बिजली पैदा /वितरण करनेवाले उद्योग के लिए स्टॉक / प्राप्य राशि संबंधी मानदंड
81.	शबैवि.(पीसीबी)3/डीसी.आर/1/1992-93	14.7.1992	रासायनिक उद्योग अनिवार्य तेल आधारित रासायनों के कतिपय क्षेत्रों के लिए स्टॉक/ प्राप्य राशि संबंधी मानदंड
82.	शबैवि.(पीसीबी)38/डीसी.(आर.1)/91-92	13.11.1991	कतिपय क्षेत्रों के लिए ऋण पर प्रतिबंध
83.	शबैवि.(एसयूसी)36/डीसी.आर.1(ए)/1990-91	31.5.1991	बड़ी नकदी ऋण सीमाओं के अंतर्गत आहरणों पर प्रतिबंध
84.	शबैवि.(पीसीबी)42/डीसी.एचसी(पॉलिसी)/1990-91	11.2.1991	ऋण निगरानी प्रणाली-शहरी सहकारी बैंकों में उधार खातों के ऋण स्थिति कूट
85.	शबैवि.पीसीबी.2/डीसी.(आर1) 1990-91	20.7.1990	पट्टेदारी / किराया खरीद कंपनियों को वित्तपोषण प्रदान करना
86.	शबैवि.(एसयूसी)22.डीसी.आर.1990/91	7.7.1990	ऋण निगरानी व्यवस्था – ऋण अनुशासन - तिमाही सूचना प्रणाली
87.	शबैवि.सं.डीसी.113/आर.1.ए-1988-89	24.4.1989	कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का मूल्यांकन – कागज उद्योग और उपभोग्य छुट्टे भागों के लिए स्टॉक / प्राप्य राशि संबंधी मानदंड
88.	शबैवि.सं.डीसी.27/आर.1.ए-1988-89	23.8.1988	अभियांत्रिकी उद्योग के लिए स्टॉक / प्राप्य राशि संबंधी दिशा-निर्देश
89.	शबैवि.सं.(डीसी)2.आर.1ए-1988-89	8.7.1988	रासायनिक उद्योग के कतिपय क्षेत्रों के लिए स्टॉक / प्राप्य राशि संबंधी मानदंड
90.	शबैवि.सं.(डीसी)123/आर.1/1987-88	31.5.1988	ऋण निगरानी प्रणाली - बैंकों में उधार खातों के लिए ऋण स्थिति कूट आरंभ करना
91.	शबैवि.सं.(डीसी)101/आर.1ए.1987-88	15.2.1998	विविध उद्योगों के लिए स्टॉक / प्राप्य राशि संबंधी दिशा-निर्देश
92.	शबैवि.सं.आईएण्डएल.67/जे.1/1987-88	20.11.1887	बिल्डरों / ठेकेदारों को अग्रिम

93.	शबैवि.(डीसी)104/आर.1/ 1986-87	25.6.1987	कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देश, साख-पत्र खोलना और गारंटियां जारी करना
94.	शबैवि.डीसी.84/आर.1/ 1986-87	3.6.1987	ऋण निगरानी प्रणाली - बैंकों में उधार खातों के लिए ऋण स्थिति कूट आरंभ करना
95.	शबैवि.(डीसी)57/आर.1/ 1986-87	19.2.1987	उधारकर्ताओं द्वारा सांविधिक देय राशियों का भुगतान करने में चूक
96.	शबैवि.सं.डीसी.41/आर.1/ 1986-87	7.11.1986	वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए उधारकर्ताओं की दी जानेवाली ऋण सुविधाएं रोक देना
97.	शबैवि.(डीसी)83/आर.1/ 1985-86	24.3.1986	सनदी लेखापालों द्वारा गैरकंपनी उधारकर्ताओं के खातों का प्रमाणन
98.	शबैवि.सं.आईएण्डएल.38/जे.1-85/86	11.10.1985	शहरी सहकारी बैंकों को दिए गए अग्रिम निधियों का विशाखन
99.	शबैवि.पीएण्डओ.1383/यूबी.17 (सी)/1984-85	22.5.1985	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में शहरी बैंकों द्वारा किए जानेवाले राहत उपाय
100.	शबैवि.पॉट.654/यूबी.17(सी)/1984-85	23.11.1984	हाल ही की विपत्तियों से प्रभावित व्यक्तियों को बैंक सहायता
101.	एसीडी.ओपीआर.1569/ए.35-79/80	2.10.1979	आगे ऋण विस्तार को रोकने के उपाय
102.	एसीडी.ओपीआर.2697/ए. 75/1974-75	24.12.1974	सहकारी बैंकों के लिए ऋण प्रधिकरण योजना
103.	एसीडी.ओपीआर.1222/ए-75/1974-75	7.9.1974	सहकारी बैंकों के लिए ऋण प्राधिकरण योजना
104.	एसीडी.प्लान.3109/पीआर.414 (9)/1968-69	18.6.1969	सहकारी बैंको के माध्यम से औद्योगिक वित्त पर कार्यकारी दल - शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित सिफारिशें - अपेक्षित कार्रवाई

ख. **अन्य परिपत्रों की सूची जिन से अग्रिमों के प्रबंधन से संबंधित अनुदेशों को मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है**

क्र.सं.	**परिपत्र सं.**	**तारीख**	**विषय**
1.	शबैवि.सं.आईएण्डएल/69/ 12.05.00/1993-94	13.5.1994	बैंकों में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच समिति - (घोष समिति)
2.	शबैवि.21/12.15.00/ 1993-94	21.9.1993	बैंकों को धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच समिति - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
3.	शबैवि.सं.2420-जे.20/ 1983-84	2.4.1984	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में धोखाधड़ियां, निधियों का दुर्विनियोजन, गबन, हड़पना